डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र. बि.पू.भु./04 भोपाल-03-05.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108 भोपाल-03-05.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193] भोपाल, शनिवार, दिनांक 30 अप्रैल 2005—वैशाख 10, शक 1927

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2005

मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण नियम

विषय-सूची

अध्याय-1
प्रारंभिक

नियम:

01 संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ
02 परिभाषाएं

अध्याय-2
ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के असंगठित कर्मकारों के लिए कल्याण बोर्ड

03 बोर्ड का गठन
04 पदावधि
05 त्यागपत्र
06 पद में रिक्ति
07 आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना
08 प्रत्येक बोर्ड की बैठक एवं गणपूर्ति
09 बैठकों की सूचना और कारबार की सूची
10 अध्यक्ष, सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा
11 कामकाज का संपादन
12 सम्मिलन के कार्यवृत्त
13 अशासकीय सदस्यों को देय भत्ते
14 प्रत्येक बोर्ड की उपसमितियां
15 प्रत्येक बोर्ड के कर्तव्य तथा कृत्य
16 सचिव, अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति
17 बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द की भर्ती प्रक्रिया तथा सेवा शर्तें
18 मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण निधि एवं मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण निधि
19 विनिधान

21 वार्षिक रिपोर्ट
22 संविदा का निष्पादन

अध्याय-3
कल्याण निधि के सदस्य के रूप में असंगठित कर्मकार का रजिस्ट्रीकरण

23 सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रक्रिया
24 अपील
25 सदस्यों का रजिस्टर
26 निधि में अभिदाय

अध्याय-4
प्रसुविधाएं तथा सामान्य कल्याणकारी क्रियाकलाप

27 प्रसुविधाएं
28 प्रसुविधाओं के संबंध में मुख्य उपबंध
29 बोर्ड द्वारा प्रसुविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा अन्य अवशिष्ट मामलों को अधिकथित करने वाली स्कीमों को अधिसूचित किया जाना
30 सामान्य कल्याणकारी क्रियाकलाप

अध्याय-5
स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण और बोर्ड में अभिदाय

31 स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करने की रीति
32 रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का दिया जाना
33 अतिरिक्त फीस का संदाय और रजिस्टर का संशोधन आदि
34 रजिस्ट्रीकरण की शर्तें
35 फीस

अध्याय-6
अपीलों, आदेशों की प्रतियां, फीसों का संदाय आदि

36 अपील अधिकारी के समक्ष अपील फाइल करना
37 सुनवाई की तारीख को उपस्थित होने में असफलता
38 अपीलों का प्रत्यावर्तन
39 अपील की सुनवाई
40 रजिस्ट्रीकरण के आदेश की या अपील में आदेश की प्रति
41 फीस का संदाय
42 नियोजक द्वारा अभिदाय

अनुसूची

अनुसूची एक-- नियोजनों की सूची

प्ररूप :

प्ररूप-एक-	वित्तीय वर्ष के लिए बजट
प्ररूप-दो -	वार्षिक रिपोर्ट
प्ररूप-तीन-	सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन पत्र
प्ररूप-चार-	नाम निर्देशन
प्ररूप-पांच-	सदस्यों का रजिस्टर
प्ररूप-छह-	सदस्यों का पहचान पत्र
प्ररूप-सात -	पहचान पत्र में परिवर्तन हेतु आवेदन
प्ररूप-आठ-	पहचान पत्र की द्वितीय प्रति के लिये आवेदन पत्र
प्ररूप-नौ-	अपील का रजिस्टर
प्ररूप-दस-	नियोजक द्वारा नियोजित असंगठित कर्मकारों तथा उनमें से सदस्यों का रजिस्टर
प्ररूप-ग्यारह-	असंगठित कर्मकारों का नियोजन करने वाली स्थापनों के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन
प्ररूप-बारह-	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदाय किया जाना
प्ररूप-तेरह-	स्थापनों का रजिस्टर

मध्य प्रदेश शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय

//अधिसूचना//

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल, 2005

कमांक एफ 28–9/05/ब/सोलह, मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 (क्रमांक 2 सन् 2003) की धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, बोर्ड के गठन, उसके कृत्य तथा बैठक और सहबद्ध विषयों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

नियम
अध्याय–1 प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभः–
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण नियम, 2005 है।
   (2) ये अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे नियोजनों को लागू होंगे, जिसके संबंध में समुचित सरकार अधिनियम के अधीन राज्य सरकार है।
   (3) ये ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएँः– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः–
   (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 (क्रमांक 9 सन् 2003),
   (ख) "बोर्ड" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित यथास्थिति मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड तथा मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड,
   (ग) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप,
   (घ) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा,
   (ड.) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार,
   (च) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जिनका इस नियम में प्रयोग किया गया है, किंतु जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

अध्याय–2
ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के असंगठित कर्मकारों के लिये कल्याण बोर्ड

3. **बोर्ड का गठनः–**
   मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड एवं मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड पृथक–पृथक निम्नलिखित से मिलकर गठित होंगेः–

(क) श्रम मंत्री, मध्यप्रदेश प्रत्येक बोर्ड के लिए पदेन अध्यक्ष के रूप में,
(ख) भारसाधक सचिव, श्रम विभाग मध्यप्रदेश शासन,
(ग) श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश,
(घ) भारसाधक सचिव, वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन या उसका नामनिर्देशित जो उपसचिव की पद श्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो,
(ङ) प्रत्येक कल्याण बोर्ड के लिये पृथक से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त 6 सदस्य जो कि असंगठित कर्मकारों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करते हों,
(च) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त छह सदस्य, जो कि असंगठित कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करते हों, जिनमें से दो महिला सदस्य पृथकतः प्रत्येक बोर्ड के लिए होंगी जिनमें से एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति तथा एक अन्य पिछड़े वर्ग के होंगे।

4. पदावधिः—

(1) नियम 3 के खण्ड (ङ) तथा (च) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(2) उपनियम (1) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, उसमें विनिर्दिष्ट कोई सदस्य, जब तक कि वह अपना पद त्याग नहीं देता या उसकी मृत्यु नहीं हो जाती या अन्यथा वह पूर्वत्तर तारीख को अपना पद रिक्त नहीं कर देता, पृथकतः प्रत्येक बोर्ड के एक सदस्य के रूप में उसे नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

5. त्याग पत्रः—

(1) नियम 3 के खण्ड (ङ) तथा (च) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।
(2) त्याग—पत्र, राज्य सरकार द्वारा उसकी स्वीकृति की तारीख से प्रभावशील होगा।

6. पद में रिक्तिः—

नियम के खण्ड (ङ) तथा (च) के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा अपना पद रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा, यदि —

(क) उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित का या अनुन्मोचित दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या
(ख) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है, या
(ग) वह अध्यक्ष से, अनुपस्थित रहने की इजाजत लिए बिना बोर्ड के लगातार तीन सम्मिलनों से अनुपस्थित रहा हो, या

(घ) वह ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है जिनका कि प्रतिनिधित्व करने के लिए उसे नियुक्त किया गया था।

7. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना:–

किसी सदस्य की मृत्यु, उसके त्यागपत्र के कारण या अन्यथा उद्भूत हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया सदस्य, उस सदस्य की पदावधि की शेष कालावधि तक पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है।

8. प्रत्येक बोर्ड का सम्मिलन एवं गणपूर्ति:–

(1) बोर्ड का सम्मिलन सामान्यतः तीन मास में एक बार होगा परन्तु अध्यक्ष, बोर्ड के कम से कम एक तिहाई सदस्यों से लिखित में अध्यपेक्षा प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर उसका विशेष सम्मिलन बुलाएगा।

(2) बोर्ड के किसी सम्मिलन में कोई काम–काज तब तक संपादित नहीं किया जाएगा, जब तक कि कम से कम छह सदस्य उपस्थित न हों, जिनमें से कम से कम एक उन सदस्यों में से होगा, जो नियम 3 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन नियुक्त किए गए हों।

9. सम्मिलन की सूचना और कारबार की सूची:–

पृथकतः प्रत्येक बोर्ड के लिए, प्रत्येक सम्मिलन की तारीख, समय तथा स्थान सूचित करने वाली सूचना, सम्मिलन में संपादित किए जाने वाले कारबार की सूची के साथ सम्मिलन से, पन्द्रह दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या विशेष संदेशवाहक द्वारा भेजी जाएगी;

परंतु जब अध्यक्ष, किसी ऐसे विषय पर विचार करने के लिए जो उसकी राय में अत्यावश्यक प्रकृति का है, सम्मिलन बुलाता है तो कम से कम तीन दिन की सूचना पर्याप्त समझी जाएगी।

10. अध्यक्ष सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा:–

अध्यक्ष (चेयर पर्सन), प्रत्येक बोर्ड के समस्त सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा। यदि अध्यक्ष, बोर्ड के सम्मिलन में उपस्थित रहने में किसी कारण से असमर्थ है तो खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त सदस्य, और यदि अध्यक्ष एवं खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त सदस्य बोर्ड के सम्मिलन में उपस्थित रहने में किसी कारण से असमर्थ है तो खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त सदस्य सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा।

11. कामकाज का संपादन:–

ऐसे समस्त प्रश्न, जो प्रत्येक बोर्ड के किसी सम्मिलन के समक्ष आएं, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किए जाएंगे

और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

12. सम्मिलन के कार्यवृत्तः–

प्रत्येक बोर्ड के प्रत्येक सम्मिलन की कार्यवाही अभिलिखित की जाएगी तथा बोर्ड की अगले सम्मिलन में पुष्टि के अध्यधीन रहते हुए, सम्मिलन के पश्चात् यथासंभव शीघ्र अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद समस्त सदस्यों को वितरित की जाएगी, ऐसी पुष्टि के पश्चात् वह, कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी जो स्थायी अभिलेख के लिए रखी जाएगी।

13. अशासकीय सदस्यों को देय भत्तेः–

प्रत्येक बोर्ड तथा उसकी उप–समितियों के सम्मिलन में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक अशासकीय सदस्य को, बोर्ड द्वारा विनिश्चित की गई दरों पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक–भत्ता संदत्त किया जाएगा।

14. प्रत्येक बोर्ड की उपसमितियांः–

(1) प्रत्येक बोर्ड ऐसी उपसमितियां नियुक्त कर सकेगा, जैसी कि वह उसके कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए उचित समझे।

(2) प्रत्येक उपसमिति में कम से कम एक सदस्य सम्मिलित होगा जो नियम 3 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अंतर्गत बोर्ड में नियुक्त हो;

परंतु उपसमिति, जब तक कि नई उपसमिति का गठन नहीं होता, कार्य करती रहेगी।

(3) उप समितियों के कामकाज के संचालन हेतु बोर्ड विनियम बना सकता है। प्रत्येक उप–समिति की अनुशंसाएं बोर्ड के समक्ष उसके विनिश्चय के लिए रखी जाएगी।

15. प्रत्येक बोर्ड के कर्तव्य तथा कृत्यः–

(1) प्रत्येक बोर्ड निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगाः–

(क) निधि के प्रशासन से संबंधित सभी विषय, जिनमें उसमें जमा राशि के विनिधान के लिए नीतियां अधिकथित करना सम्मिलित हैं,

(ख) अधिनियम की क्रमशः धारा 10, 11 तथा 12 के अधीन शासन को वार्षिक बजट, वार्षिक रिपोर्ट तथा संपरीक्षित लेखे प्रस्तुत करना,

(ग) अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों के अनुसार लेखाओं को समुचित बनाए रखना तथा उनकी वार्षिक संपरीक्षा,

(घ) निधि में अंशदान एवं अन्य प्रभारों का संग्रहण,

(ड.) बोर्ड को देय रकमों की समुचित एवं समय पर वसूली,

(च) अधिनियम की धारा 7 में विनिर्दिष्ट तथा उसके अधीन विहित कृत्यों का पालन करना।

(2) प्रत्येक बोर्ड, शासन को समय समय पर ऐसी जानकारी देगा, जैसी कि वह चाहे।

16. सचिव, अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृन्द की नियुक्तिः—

(1) प्रत्येक बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व सहमति से किसी अधिकारी को, जो उप श्रमायुक्त की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो, बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त करेगा;

परन्तु एक व्यक्ति दोनों बोर्डों का सचिव नियुक्त हो सकेगा।

(2) प्रत्येक बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचरियों को नियुक्त कर सकेगा, जैसा कि वह उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे,,

परन्तु प्रत्येक बोर्ड में कोई पद तब तक नहीं भरा जाएगा, जब तक कि उसके सृजन को राज्य सरकार द्वारा पहले अनुमोदित न कर दिया गया हो।

17. बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की भरती प्रक्रिया तथा सेवा शर्तेः—

(1) राज्य सरकार के कर्मचारियों को लागू निम्नलिखित नियम यथावश्यक परिवर्तन सहित प्रत्येक बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होंगेः—

(क) मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज (जनरल कंडीशंस आफ सर्विस) रूल्स, 1961,
(ख) मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज (कंडक्ट) रूल्स, 1965
(ग) मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एण्ड अपील) रूल्स, 1966,
(घ) मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज (मेडिकल एक्जामिनेशन) रूल्स, 1972,
(ड.) मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज (लीव) रूल्स, 1977,
(च) मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज (ज्वाइनिंग टाइम) रूल्स, 1982,
(छ) मध्यप्रदेश एक्स सर्विसेज (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन द स्टेट सिविल सर्विसेज ऑन पोस्ट्स आफ क्लास III एण्ड क्लास IV रूल्स, 1985,
(ज) मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज (स्पेशल प्रोवीजन ऑफ एपायन्टमेन्ट ऑफ वूमन) रूल्स, 1997,
(झ) मध्यप्रदेश पब्लिक सर्विसेज (प्रमोशन) रूल्स, 2002,

(2) बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वर्गीकरण, वेतनमान भत्ते, भर्ती की प्रक्रिया तथा सेवा के निबंधन और शर्तें, उस सीमा तक जहां तक कि वे उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट नियमों में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित नहीं हैं, ऐसी होंगी, जैसी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएं।

18. मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण निधि एवं मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण निधिः—

(1) प्रत्येक बोर्ड इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र अधिनियम के तथा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार एक निधि का गठन कर सकेगा, जो "मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण निधि एवं मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण निधि" कहलाएगी।

(2) निधि, प्रत्येक बोर्ड में निहित होगी तथा उसके द्वारा प्रशासित की जाएगी।

19. विनिधानः—

निधि की समस्त धनराशि का विनिधान अधिसूचित बैंकों या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम सं2) की धारा 20 के खण्ड (क) से (घ) तक में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में किया जा सकेगा।

20. बजटः—

(1) प्रत्येक बोर्ड, आगामी वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष 10 मार्च से पूर्व, उसकी प्राक्कलित प्राप्तियॉ तथा व्यय दर्शाते हुए उसका बजट तैयार करेगा तथा उसका अनुमोदन करेगा।

(2) बजट, प्ररूप—एक में तैयार किया जाएगा तथा बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात्, राज्य सरकार को इस प्रकार अग्रेषित किया जाएगा, ताकि 20 मार्च तक उन तक पहुंच जाए।

21. वार्षिक रिपोर्टः—

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड के कार्यकरण की रिपोर्ट आगामी वित्तीय वर्ष की 15 जून के पूर्व बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाएगी तथा शासन को उस वर्ष की 31 जुलाई तक प्ररूप—दो में प्रस्तुत की जाएगी।

22. संविदा का निष्पादनः—

प्रत्येक बोर्ड की ओर से समस्त आदेश तथा अन्य लिखत, प्रत्येक बोर्ड के नाम से तैयार तथा निष्पादित किये जाएंगे तथा ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणित किये जाएंगे, जैसा कि प्रत्येक बोर्ड विनिर्दिष्ट करे।

अध्याय–3
असंगठित कर्मकार का कल्याण निधि के सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण

23. सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रक्रिया:–

(1) अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप–तीन में, दो प्रतियों में, धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन पृथकतः मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड एवं मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को किया जाएगा तथा उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे, अर्थात्:–

(क) निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक या अधिक में आयु का सबूत, अर्थात्:–

(एक) परीक्षा लेने वाले किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र या अंकसूची या उस अंतिम विद्यालय द्वारा, जिसमें उसने अध्ययन किया, जारी किया गया विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र,

(दो) जन्म तथा मृत्यु के रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र,

(तीन) ग्राम पंचायत या मुख्य नगर पालिका अधिकारी से प्रमाण पत्र

(चार) उपरोक्त प्रमाण–पत्रों के न होने पर उस चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र, जो शासकीय सेवा में सहायक शल्य–चिकित्सक की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो,

(ख) पूर्ववर्ती एक वर्ष के दौरान कम से कम नब्बे दिन के लिये असंगठित कर्मकार की प्रास्थिति का सबूत, जो सामान्यतः उस नियोजक द्वारा, जिसके लिये आवेदक काम कर रहा हो, जारी किया गया उस आशय का प्रमाण पत्र होगा। *तथापि, समुचित मामलों में, प्रास्थिति के सबूत के रूप में निम्नलिखित पर भी विचार किया जा सकेगा, अर्थात्:–*

(एक) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत असंगठित कर्मकार संघ द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण–पत्र,

(दो) संबंधित क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र,

(तीन) संबंधित जनपद पंचायत या नगर पालिक निकाय, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र,

(ग) प्ररूप–चार में नाम निर्देशन।

(घ) पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ दस रूपये फीस होगी, जो नगद में या अकाउन्ट–पेयी डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा संबंधित बोर्ड को देय होगी।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति संबंधित बोर्ड द्वारा की जाएगी।

(4) यदि उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारी का सम्यक जांच के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि आवेदक, अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) में विनिर्दष्ट पात्रता संबंधी मानदंड पूरा करता है तथा उसने अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन किया है तो वह सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में कर्मकार के नाम की प्रविष्टि करेगा, जो प्ररूप–पांच में रखा जाएगा तथा प्ररूप–छह में उसे एक पहचान–पत्र भी जारी करेगा;

परंतु प्राधिकृत अधिकारी, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आवेदन पत्र को नामंजूर कर सकेगा। यदि जांच के पश्चात् वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आवेदक, पात्रता के मानदंड की पूर्ति नहीं करता है और/या अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंधों का पालन नहीं किया है;

परन्तु यह और कि उपनियम (1) के अधीन प्राप्त प्रत्येक आवेदन पत्र पर विनिश्चय साधरणतया एक मास की अधिकतम कालावधि के भीतर किया जाएगा तथा नामंजूरी की दशा में उसके कारण आवेदक को लिखित में संसूचित किए जाएंगे।

(5) यदि किसी सदस्य के संबंध में, उपनियम (4) में निर्दिष्ट पहचान–पत्र में विनिर्दिष्ट किन्हीं विशिष्टियों में कोई परिवर्तन होता है या उसे अद्यतन करना आवश्यक हो गया है तो सदस्य उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारी को, यथास्थिति उस तारीख से, जब ऐसा परिवर्तन होता है या अद्यतन करना आवश्यक हो जाए, साठ दिन के भीतर ऐसे परिवर्तन की तारीख तथा विशिष्टियां या अद्यतन किये जाने की आवश्यकता तथा उसके कारण, प्ररूप–सात में संसूचित करेगा।

(6) जहां, उननियम (5) में निर्दिष्ट संसूचना की प्राप्ति पर अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि पहचान पत्र में प्रविष्ट की गई सदस्य की विशिष्टियों में कोई परिवर्तन हुआ है या यह कि ऐसी विशिष्टियों को अद्यतन करने की आवश्यकता है तो, वह उक्त पत्र (कार्ड) में संशोधन करेगा तथा जो परिवर्तन हुआ है उसे भी उपनियम (4) में निर्दिष्ट रजिस्टर में अभिलिखित करेगा।

(7) यदि कोई पहचान पत्र खो जाए, विकृत हो जाए या उसमें के पृष्ठ निःशेष हो जाएं, तो संबंधित सदस्य, डुप्लीकेट/निरंतर पहचान–पत्र जारी किये जाने के लिये, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को प्ररूप–आठ में आवेदन कर सकेगा। डुप्लीकेट पहचान–पत्र के लिये आवेदन–पत्र के साथ केवल दस रूपये फीस होगी, जो बोर्ड को नगद में अकाउंटपेयी डिमांड ड्राफ्ट द्वारा देय होगी।

(8) उपनियम (1) के अधीन किसी आवेदन पत्र की प्राप्ति पर संबंधित अधिकारी, सदस्य के रजिस्टर में प्रविष्टियों के साथ उसकी विषयवस्तु की जांच पड़ताल करने तथा आवेदन पत्र की वास्तविकता के संबंध में स्वयं का समाधान हो जाने के पश्चात् डुप्लीकेट या निरंतर पहचान पत्र जारी करेगा।

परन्तु डुप्लीकेट पहचान पत्र के लिये आवेदन पत्र आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से नामंजूर किया जा सकेगा।

24. अपीलः—

(1) नियम 23 के उपनियम (4) या उपनियम (8) के अधीन किसी विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के भीतर सचिव या बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को (जो इसमें इसके पश्चात् अपील अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट है) अपील कर सकेगा।

(2) अपील के ज्ञापन के साथ उस आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, एक प्रमाणित प्रति तथा संबंधित बोर्ड को नगद या अकाउंटपेयी डिमांड ड्राफ्ट में देय दस रूपये की फीस होगी।

(3) जब अपील का ज्ञापन व्यवस्थित हो तो अपील अधिकारी, अपील ग्रहण करेगा, उस पर उसकी प्राप्ति की तारीख पृष्ठांकित करेगा और उसकी प्रविष्टि प्ररूप—नौ में इस प्रयोजन के लिये रखे गये रजिस्टर में की जायेगी, जो "अपीलों का रजिस्टर" के नाम से जाना जाएगा।

(4) जब उपनियम (3) के अधीन कोई अपील ग्रहण की गई हो, तब अपील अधिकारी, संबंधित रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी से मामले के अभिलेख की अध्यपेक्षा करेगा और अभिलेख प्राप्त होने पर, मामले के अभिलेख का परीक्षण करने तथा अपीलार्थी और ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे, सुनने के पश्चात् लिखित आदेश के माध्यम से अपील का निपटारा करेगा।

25. सदस्यों का रजिस्टरः—

(1) प्रत्येक नियोजक स्थापना के संबंध में जिसको यह अधिनियम इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से लागू होता है, ऐसे प्रारंभ की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर एक रजिस्टर प्ररूप—10 में रखेगा जिसमें उसके द्वारा नियोजित सदस्य के नियोजन के ब्यौरे दर्शित किये जाएंगे।

(2) उपनियम (1) में संधारित रजिस्टर का, संबंधित बोर्ड के सचिव या संबंधित बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी पूर्व सूचना के बिना निरीक्षण किया जा सकेगा।

26. **निधि में अभिदायः–**

(1) प्रत्येक सदस्य, ऐसी मासिक दर से निधि में अभिदाय करेगा, जैसी कि अधिनियम की धारा 18 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए। अभिदाय, बोर्ड द्वारा उस जिले में, जहां सदस्य निवास करता है, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए बैंकों में से किसी बैंक में मासिक या त्रैमासिक आधार पर अग्रिम में विप्रेषित किया जाएगा।

(2) सदस्य, अपनी मासिक मजदूरी में से अपने अभिदाय की कटौती करने तथा ऐसी कटौती करने से पन्द्रह दिन के भीतर बोर्ड को उसे विप्रेषित करने के लिये अपने नियोजक को प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) यदि कोई सदस्य लगातार एक वर्ष की कालावधि तक अभिदाय का संदाय करने में चूक करता है तो वह सदस्य नहीं रह जाएगा,

परन्तु यदि संबंधित बोर्ड के सचिव का यह समाधान हो जाता है कि किसी युक्तियुक्त कारण से अभिदाय का संदाय नहीं किया गया था, और यह कि सदस्य बकाया को जमा करने के लिये रजामंद है, तो वह सदस्य को उसके अभिदाय क बकाया जमा करने के लिये अनुज्ञात कर सकेगा तथा ऐसा जमा किए जाने पर सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रत्यावर्तित हो जाएगा।

अध्याय–4
प्रसुविधाएं तथा सामान्य कल्याणकारी क्रियाकलाप

27. **प्रसुविधाएंः–**

संबंधित बोर्ड, अधिनियम तथा इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उन सदस्यों को जिन्होंने निधि में अंशदान किया है, नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट की गई समस्त या किन्हीं प्रसुविधाओं को विस्तारित कर सकेगाः–

प्रसुविधाएं
सारणी

1. पेंशन
   (1) वृद्धावस्था पेंशन
   (2) परिवार पेंशन
   (3) निःशक्तता सहायता तथा पेंशन

2. गृह निर्माण सहायता
   (1) मकान के क्रय या निर्माण के लिए ऋण
   (2) किसी गृह निर्माण वित्तीय संस्था के लिये गृह निर्माण ऋण हेतु ब्याज सब्सिडी

3. शिक्षा
   (1) छात्रवृत्ति
   (2) शिक्षा ऋण
   (3) किसी वित्तीय संस्था से लिये गए शिक्षा ऋण हेतु ब्याज सब्सिडी
   (4) मेधावी छात्रों को नगद पुरस्कार

4. आय संवर्धन के लिये सहायता
   (1) औजारों तथा छोटी मशीनों के क्रय हेतु ऋण
   (2) अनुपूरक आय अर्जित करने वाले क्रियाकलापों के लिए ब्याज सब्सिडी

5. विवाह सहायता

6. चिकित्सा सहायता

7. प्रसूति सहायता

8. बीमा सहायता
   (1) समूह बीमा
   (2) बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिये सहायता

9. मृत्यु के मामले में सहायता
   (1) अंतिम संस्कार सहायता
   (2) अनुग्रह राशि भुगतान

28. प्रसुविधाओं के संबंध में मुख्य उपबंध :–

(1) जब तक कि इन नियमों के द्वारा या उनके अधीन अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, प्रसुविधा के तौर पर देय किसी धनराशि का भुगतान नकद में नहीं किया जाएगा, परन्तु यथास्थिति, सदस्य या अन्य पात्र प्राप्तिकर्ता के अधिसूचित बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में संधारित बैंक खाते में जमा की जाएगी।

(2) नियम 27 में प्रगणित की गई प्रसुविधाओं से संबंधित "निम्नलिखित विषयों के बारे में विस्तृत उपबंध, अर्थात् :–

(एक) प्रसुविधा की प्रकृति;

(दो) वह व्यक्ति, जिसे प्रसुविधा देय होगी;

(तीन) उस दर को, जिस पर प्रसुविधा दी जाएगी, शासित करने वाले व्यापक दिशा–निर्देश, यदि कोई हों;

29. बोर्ड द्वारा प्रसुविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा अन्य अवशिष्ट मामलों को अधिकथित करने वाली स्कीमों को अधिसूचित किया जाना :–

संबंधित मंडल, नियम 27 में विनिर्दिष्ट की गई प्रत्येक सुविधा या प्रसुविधाओं के समूह के बारे में, उन प्रक्रियाओं, प्ररूपों तथा अन्य समस्त अवशिष्ट मामलों को अधिकथित करते हुए एक स्कीम, जो अधिनियम तथा इन नियमों में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित नहीं है, तैयार करेगा और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचित करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित होगा :–

(एक) वे दरें, जिन पर विभिन्न प्रसुविधाएं देय होंगी:–

(दो) आवेदन करने की प्रक्रिया तथा प्ररूप;

(तीन) मंजूरी देने की प्रक्रिया तथा मंजूरी देने के लिये सक्षम प्राधिकारी;

(चार) कोई अन्य आनुषंगिक मामले।

30. सामान्य कल्याणकारी क्रियाकलाप :–

(1) संबंधित बोर्ड, व्यष्टि सदस्य को नियम 27 तथा 28 में निर्दिष्ट प्रसुविधाएं देने के अतिरिक्त, असंगठित कर्मकारों के सामान्य कल्याण में संवर्धन की दृष्टि से निम्नलिखित क्रियाकलाप हाथ में ले सकेगा, अर्थात् :–

(क) कर्मकारों के नियोजन का पैटर्न, कौशल, आय, मजदूरी तथा कार्य करने की शर्तों और उनके कल्याण के लिये आशयित शासन तथा बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभाव को अभिनिश्चित करने के लिये सर्वेक्षण, अध्ययन आदि करना।

(ख) उनके कानूनी अधिकार, उन अधिकारों का प्रवर्तित कराने की प्रक्रिया, शिकायतों को दूर करना और विभिन्न कल्याण तथा विकास स्कीमों का लाभ उठाने के प्रति कर्मकारों में जागरूकता का प्रसार करना,

(ग) महिलाओं तथा संतानों के स्वास्थ्य में सुधार, छोटे परिवार की अवधारणा और सामाजिक बुराइयों जैसे मद्यपान, दहेज, बाल विवाह आदि को दूर करना।

(घ) कर्मकारों के लिये खेलकूद, सांस्कृतिक तथा आमोद–प्रमोद के क्रियाकलाप संचालित करना और कर्मकारों के समूह लिये अध्ययन दौरे (टूर) आयोजित करना और

(ड.) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कोई अन्य क्रियाकलाप, जिनका उद्देश्य कर्मकारों के समग्र कल्याण में अभिवृद्धि करना हो।

(2) उप–नियम (1) में प्रमाणित क्रियाकलापों पर किसी वित्तीय वर्ष में व्यय, उस वर्ष में संबंधित बोर्ड के कुल व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

अध्याय–5
स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण और बोर्ड में अभिदाय

31. स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करने की रीति :–

(1) प्रत्येक नियोजक, स्थापना के संबंध में जिस पर यह अधिनियम लागू है अधिनियम प्रारंभ होने के दिनांक से 60 दिन की कालावधि के भीतर अधिनियम की धारा 22की उपधारा (1) के उपखण्ड (क) या (ख) में निर्दिष्टि आवेदन इन नियमों के उपाबद्ध प्ररूप–11 में तीन प्रतियों में अधिनियम की धारा 20 के अधीन नियुक्त उस क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को करेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन के साथ, स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए विहित फीस का संदाय दर्शाने वाला मांगदेय ड्राफ्ट संलग्न किया जाएगा।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन या तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से किया जायेगा या रजिस्ट्रीकृत डाक से उसे भेजा जाएगा।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, आवेदन पर उसके द्वारा प्राप्ति की तारीख अंकित करने के पश्चात् आवेदक को उसकी अभिस्वीकृति देगा।

32. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का दिया जाना :–

(1) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, नियम 31 के उपनियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् स्थापन को रजिस्टर करेगा और आवेदक को आवेदन की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर यदि आवेदक ने इन नियमों में अधिकथित सभी अपेक्षाओं की पूर्ति कर दी है और ऐसी कालावधि के भीतर आवेदन किया है जो अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के

खण्ड (क) और (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट है तो रजिस्ट्रीकरण–प्रमाण–पत्र जारी करेगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दिए जाने वाला रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप–12 में होगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, इन नियमों में उपाबद्ध प्ररूप–13 में रजिस्टर बनाएगा जिसमें इन स्थापनों की विशिष्टियां दर्शित होंगी, जिनके संबंध में उसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र किया गया है।

(3) यदि किसी स्थापन के संबंध में रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट स्वामित्व या प्रबन्ध या अन्य विशिष्टियों में कोई परिवर्तन होता है तो स्थापन का नियोजक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उस तारीख से तीस दिन के भीतर जिसको ऐसा परिवर्तन होता है, ऐसे परिवर्तन की तारीख व विशिष्टियों की ओर उसके कारणों की सूचना देगा।

33. अतिरिक्त फीस का संदाय और रजिस्टर का संशोधन आदि:–

(1) जहां नियम 32 के उपनियम (3) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उस रकम से अधिक रकम संदेय है जिसका संदाय स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस के रूप में नियोजक द्वारा किया गया है तो वह ऐसे नियोजक से ऐसी अतिरिक्त राशि का संदाय करने की अपेक्षा करेगा जो ऐसे नियोजक के द्वारा पहले से संदत्त रकम को मिलाकर स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय फीस की ऐसी उच्चतर रकम के बराबर होगी।

(2) जहां नियम 32 के उपनियम (3) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप–13 में रजिस्टर में यथाप्रविष्ट स्थापन की विशिष्टियों में कोई परिवर्तनकारित किया गया है वहां वह उक्त रजिस्टर और अभिलेख में संशोधन उस परिवर्तन के लिये करेगा जो किया गया है।

परन्तु यह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप–13 में रजिस्टर में कोई संशोधन तब तक नहीं करेगा जब तक कि नियोजक द्वारा समुचित फीस का निक्षेप न कर दिया गया हो।

34. रजिस्ट्रीकरण की शर्तें :–

(1) नियम 32 के अधीन जारी किया गया प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए होगा, अर्थात् :–

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र अहस्तांतरणीय होगा, (अर्थात्)
(ख) नियोजित कर्मकारों की संख्या किसी भी दिन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण–पत्र में निर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी; और

(ग) इन नियमों से जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र देने के लिये संदत्त फीस अप्रतिदेय होगी।

(2) नियोजक, पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को कर्मकारों की संख्या या कार्य की शर्तों में किसी परिवर्तन की, यदि कोई हो, सूचना देगा।

35. फीस :–

नियम 32 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र मंजूर करने के लिये संदेय फीस वह होगी जो नीचे विनिर्दिष्ट है, अर्थात्:–

यदि किसी एक दिन में कार्य के लिए असंगठित कर्मकारों के रूप में नियोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित कर्मकारों की संख्या

(क)	100 तक है	:	50.00 रूपए
(ख)	100 से अधिक किन्तु 500 से कम है	:	250.00 रूपए
(ग)	500 से अधिक है	:	500.00 रूपए

अध्याय–6
अपील, आदेशों की प्रतियां, फीसों का संदाय आदि

36. अपील अधिकारी के समक्ष अपील फाईल करना :–

(1) अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील व्यथित व्यक्ति या उसके प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में की जाएगी और अपील *अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसे भेजकर प्रस्तुत की* जाएगी।

(2) ज्ञापन के साथ उस आदेश की प्रमाणित प्रति जिसके विरूद्ध अपील की गई है और एक सौ रूपये का मांग देय ड्राफ्ट होगा।

(3) ज्ञापन में संक्षिप्त रूप से और सुभिन्न मदों के अधीन अपील के आधार उपवर्णित होंगे।

(4) जहां अपील ज्ञापन उपनियम (2) और उपनियम (3) के उपबंधों का अनुपालन नहीं करता है, वहां अपीलार्थी को अपील अधिकारी द्वारा नियत किए गए समय के भीतर उस प्रयोजन के संशोधन करने के लिए वापस किया जाएगा जो उस तारीख से, जिसको वह आदेश अपीलार्थी को संसूचित किया गया था, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, तीस दिन से अधिक नहीं होगा।

(5) जहां अपील ज्ञापन व्यवस्थित है वहां अपील अधिकारी अपील को ग्रहण करेगा, उस पर ऐसे अपील की सुनवाई की तारीख पृष्ठांकित करेगा और इस प्रयोजन के लिये रखे जाने वाली ऐसी पुस्तिका में अपील को रजिस्टर करेगा।

(6) (एक) जब उपनियम (5) के अधीन अपील ग्रहण कर ली जाती है तब अपील अधिकारी, अपील की सूचना उस रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजेगा जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की गई है और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उस पर मामले का अभिलेख अपील अधिकारी को भेजेगा।

(दो) अभिलेख प्राप्त होने पर अपील अधिकारी, ऐसी तारीख और ऐसे समय पर जो अपील की सुनवाई के लिये सूचना–पत्र में विनिर्दिष्ट की जाए, उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए अपीलार्थी को सूचना भेजेगा।

37. सुनवाई की तारीख को उपस्थित होने में असफलता :–

यदि सुनवाई के लिये नियत तारीख को अपीलार्थी उपस्थित नहीं होता है तो अपील अधिकारी, उपस्थित होने में चूक के लिए अपील को खारिज कर सकेगा।

38. अपीलों का प्रत्यावर्तन :–

जहां कोई अपील, नियम 37 के अधीन खारिज कर दी जाती है वहां अपीलार्थी, अपील के प्रत्यावर्तन के लिए अपील कर सकेगा और यदि अपील अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उपस्थित होने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था तो अपील अधिकारी अपील को उसकी मूल संख्या पर प्रत्यावर्तित करेगा।

परन्तु इस नियम के अधीन प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन अपील अधिकारी द्वारा ऐसे खारिज किए जाने की तारीख से तीस दिन के पश्चात् ग्रहण नहीं की जाएगी।

39. अपील की सुनवाई :–

(1) यदि अपीलार्थी, उस समय उपस्थित है, जब अपील सुनवाई के लिये ली जाती है तब अपील अधिकारी, अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत अधिवक्ता को सुनने के लिए अग्रसर होगा और अपील पर उस आदेश की जिसके विरूद्ध अपील की गई है या तो पुष्टि करने वाला, उलटने वाला या फेरफारित करने वाला आदेश पारित करेगा।

(2) अपील अधिकारी के आदेश में अवधारणा के लिए बिन्दु, उस पर विनिश्चय और ऐसे विनिश्चयों के लिए कारण कथित होंगे।

(3) अपीलार्थी को आदेश संसूचित किया जाएगा और उसकी प्रति उस रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजी जाएगी, जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की गई थी।

40. रजिस्ट्रीकरण के आदेश की या अपील में आदेश की प्रति :–

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के या अपील अधिकारी के आदेश की प्रति संबंधित व्यक्ति या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, प्रत्येक आदेश के लिये पचास रूपये की फीस के संदाय के साथ, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपील अधिकारी को आवेदन करने पर, जिसमें संबंधित अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की तारीख और विशिष्टियां विनिर्दिष्ट होंगी, प्राप्त की जा सकेगी। खो जाने या विक्रत हो जाने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र की प्रति वैसी ही फीस के संदाय पर और उसी रीति से प्राप्त की जा सकेगी।

41. फीस का संदाय :–

रजिस्ट्रीकरण, अपील, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र की प्रतियें या दूसरी प्रतियों के प्रदाय के लिये संदेय धन की सभी राशि स्थानीय बोर्ड के नामनिर्दिष्ट लेखा में देय होगी।

42. नियोजकों द्वारा अभिदाय :–

(1) प्रत्येक नियोजक यथास्थिति मध्य प्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड या मध्य प्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड को ऐसी मासिक दर पर जैसी कि अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना विनिर्दिष्ट की जाय, अपना अभिदाय देगा। देय अभिदाय डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा ऐसे बोर्ड के सचिव या अन्य अधिकारी के पक्ष में जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जए, दिया जाएगा।

(2) अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (5) के अधीन यथाविहित सूचना जारी करने के पश्चात्, यदि नियोजक अभिदाय का भुगतान करने में चूक करता है तो बोर्ड संबंधित जिले के कलेक्टर को एक प्रमाण पत्र उसमें कथित रकम की वसूली भू–राजस्व की बकाया के तौर पर करने हेतु जारी कर सकेगा और तदुपरि कलेक्टर उस रकम की भू–राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली करने के लिये अग्रसर होगा और रकम को संबंधित बोर्ड को विप्रेषित कर देगा।

परन्तु यदि नियोजक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (5) के अधीन जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में कारण बताते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत कर देता है तो उपरोक्त अभ्यावेदन पर विचार करने, ऐसी जांच जैसी कि आवश्यक समझी जाए, करने और अभ्यावेदन रद्द करने के कारण देते हुए आदेश पारित करने पर ही उपर्युक्त प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

अनुसूची

भाग – एक

1. कृषि में नियोजन, जिसमें सम्मिलित है उद्यानिकी तथा कृषि प्रसंस्करण
2. दुग्ध – उद्योग (डेरी), मुर्गीपालन, सुअर पालन तथा अन्य पशुपालन में नियोजन
3. मछली पालन में नियोजन
4. वानिकी में नियोजन जिसमें सम्मिलित है मुख्य तथा गौण वन उपज के उत्खनन तथा संग्रहण से संबंधित कियाकलाप
5. रेशम – उत्पादन में नियोजन

भाग – दो

1. लेटराइट गोलाश्म मृत्तिका का निकाला जाना, भवन का पत्थर, सड़क की गिट्टी, बजरी, मुरम, रेत तथा मिट्टी खदान किया तथा उत्खनन में नियोजन
2. पत्थर को तोड़ने तथा दलने में नियोजन
3. पकी ईंट तथा टाइल बनाने में नियोजन

भाग – तीन

1. (क) किसी बाजार या दुकान या डिपो या कारखाना या भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थापना एवं
   (ख) मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1974) के अधीन गठित मण्डी समितियों के नियंत्रणाधीन कोई बाजार,

   में लदाई–उतराई, ढेर लगाने (स्टॅकिंग), पैकिंग करने वहन करने, तौलने, मापने और ऐसे ही अन्य शारीरिक कार्य, जिसमें उसकी तैयारी तथा अन्य संसक्त कार्य शामिल हैं, में नियोजन,
2. सार्वजनिक परिवहन यानों में माल की लदाई या उनसे माल की उतराई से संबंधित तथा कोई अन्य आनुषंगिक या संसक्त प्रचालन में नियोजन
3. गोदाम में खाद्यान्न की लदाई, उतराई तथा वहन करना, खाद्यान्नों की छटाई तथा सफाई, खाद्यान्नों का बोरों में भरना, ऐसे बोरों की सिलाई करना तथा उससे तथा अनुषंगिक तथा संसक्त अन्य कार्य में के संबंध में नियोजन

भाग – चार

1. खादी, हथकरघा (हैण्डलूम) तथा पावरलूम उद्योग में नियोजन
2. कपड़े का विरंजित करना (ब्लीचिंग) रंगाई तथ छपाई में नियोजन
3. सिलाई में नियोजन

भाग – पॉच

1. सुगंधित तिलियॉ (अगरबत्ती) के बनाने में नियोजन
2. कढ़ाई, धुम्रपान (स्मोकिंग) तथा तैयार वस्त्र (रेडीमेड गारमेन्ट्स) बनाने में नियोजन
3. पापड़, अचार, जेम्स, जेली, अन्य परिरक्षित खाद्य पदाथ, पिसे मसाले तथा वासक बनाने में नियोजन.
4. खाना बनाने में नियोजन
5. खिलौने बनाने में नियोजन

भाग – छः

1. चमड़े के शोधन तथा प्रसंस्करण में नियोजन
2. जूते तथा चमड़े की अंन्य वस्तुयें बनाने तथा मरम्मत करने में नियोजन
3. सफाई तथा झाड़ू – बहारू सेवाओं में नियोजन

भाग – सात

1. रैग–पिकिंग में नियोजन.
2. दरवाजे–दरवाजे (द्वार–द्वार पर) पुराने समाचार–पत्रों (रद्दी) का संग्रहण (तथा विक्रय) तथा त्यक्त वस्तुएं (कबाड़ी) में नियोजन
3. बेचने वाला (हॉकर) तथा मार्ग में फेरी लगाकर बेचने वाला (स्ट्रीट वेंडर) के रूप में नियोजन.

भाग – आठ

1. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (1961 का 27) में यथा परिभाषित मोटर परिवहन कर्मकार.
2. साइकिल–रिक्षा, ऑटो रिक्षा तथा टेक्सी चलाने में ऐसा नियोजन जो "मोटर परिवहन कर्मकार" की श्रेणी में नहीं आता
3. आटा, तेल, दाल तथा चावल मिल में नियोजन
4. प्राइवेट सुरक्षा सेवाओं में नियोजन
5. प्लास्टिक उद्योगों में नियोजन
6. लकड़ी का काम करने की इकाईयों में नियोजन
7. बर्तन बनाने में नियोजन
8. कारीगर (शिल्पी) जैसे लुहार, बढ़ई, गारा बनाने, चाक बनाने (कुम्हार) आदि में नियोजन
9. दरी तथा कारपेट बनाने में नियोजन.
10. आतिशबाजी तथा माचिस उद्योग में नियोजन
11. डब्बे तथा पैकिंग की अन्य सामग्री बनाने में नियोजन

115

प्रारूप – एक

नियम 20 (2) देखिए

मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड/
मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड
वित्तीय वर्ष ..... के लिये बजट

भाग – 1 – प्राप्तियां

शीर्ष	पूर्व वित्तीयवर्ष में वास्तविक प्राप्तियां	बजट के अनुसार चालू वर्ष हेतु अनुमानित प्राप्तियां	चालू वर्ष की प्रथम तीन तिमाही में वास्तविक प्राप्तियां	आगामी वित्तीय वर्ष ..... हेतु अनुमानित प्राप्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. प्राप्त उपकर				
2. सदस्यों से प्राप्त अंशदान				
3. राज्य शासन से प्राप्त अनुदान				
4. नियोजकों से प्राप्त अभिदाय				
5. ब्याज				
6. अन्य प्राप्तियां				
कुल प्राप्तियां				

भाग – 2 – व्यय

शीर्ष	पूर्व वित्तीयवर्ष में वास्तविक व्यय	बजट के अनुसार चालू वर्ष हेतु अनुमानित व्यय	चालू वर्ष की प्रथम तीन तिमाही में वास्तविक व्यय	आगामी वित्तीय वर्ष ..... हेतु अनुमानित व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. बोर्ड के सम्मिलनों पर व्यय:				
1.1 सदस्यों का यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता				
1.2 अल्पाहार				
1.3 अन्य आनुषंगिक व्यय				
योग (1) ..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. बोर्ड कर्मचारिवृन्द पर किया गया व्यय				
2.1 वेतन तथा मंहगाई भत्ता				
2.2 चिकित्सा भत्ता				
2.3 मकान भाड़ा भत्ता				
2.4 यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता				
2.5 ऋण एवं अग्रिम				
2.6 अन्य				
योग (2) ..				
3. कार्यालय व्यय				
3.1 जल एवं विद्युत				
3.2 किराया एवं कर				
3.3 स्टेशनरी एवं प्रिन्टिंग				
3.4 पी.ओ.एल. व्यय				
3.5 फर्नीचर एवं फिक्सचर				
3.6 दूरभाष व्यय				
3.7 डाक व्यय एवं टेलीग्राम				
3.8 पुस्तकें तथा नियत कालिक पत्रिकाएं				
3.9 पोषाक				
3.10 अन्य आकस्मिक व्यय				
योग (3) ..				
4. पूंजीगत व्यय				
4.1 वाहन क्रय				
4.2 भवन का निर्माण/क्रय/मरम्मत/नवीनीकरण				
4.3 उपस्कर का क्रय				
4.4 अन्य पूंजीगत व्यय				
योग (4) ..				
5. नियम 27 में यथाविनिर्दिष्ट प्रसुविधाओं पर व्यय				
5.1				
5.2				
5.3				

	5.4			
	5.5			
	5.6			
	योग (5) ..			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	नियम 27 में यथा परिभाषित सामान्य कल्याणकारी कार्यकलापों पर व्यय			
	6.1			
	6.2			
	6.3			
	6.4			
	योग (6) ..			
	कुल व्यय ..			

स्थान :

तारीख :

सचिव
मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड/मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड

भाग – 3 – सारांश

शीर्ष	रकम
(1)	(2)
1. अनुमानित कुल प्राप्तियां	
2. अनुमानित कुल व्यय	
3. अनुमानित अतिशेष/कमी (1–2)	

स्थान :

तारीख :

सचिव
मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड/मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड

प्ररूप – दो

[नियम 20 देखें]

मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड / मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड

बोर्ड के कृत्यों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव का नाम
2. प्रत्येक बोर्ड के संचालकों और सदस्यों की सूची
3. 3.1 प्रत्येक बोर्ड को वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त उपकर

   3.2 रजिस्ट्रीकरण इत्यादि से प्राप्त आय
4. बोर्ड में वित्तीय वर्ष के दौरान नये रजिस्ट्रीकृत सदस्यों की कुल संख्या
5. बोर्ड में असंगठित कर्मकारों की कुल संख्या
6. प्रत्येक बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान असंगठित कर्मकार सदस्यों के लिए किए गए कल्याणकारी क्रिया कलापों के ब्यौरे

अनु. क्रमांक	स्कीम का नाम	लाभान्वित असंगठित कर्मकार सदस्यों की संख्या	रकम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			

7. अन्य कल्याणकारी क्रिया कलापों के ब्यौरे
8. प्रत्येक बोर्ड द्वारा किये गये अन्य मुख्य क्रिया कलापों के ब्यौरे

सचिव
मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार
कल्याण बोर्ड / मध्यप्रदेश नगरीय
असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड

११९

प्ररूप – तीन

[नियम 23 (1) देखिए]

सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन–पत्र

1. नाम : .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. पता : .....
   (एक) वर्तमान पता .....
   (दो) स्थाई पता .....
4. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है .....
5. जन्म तारीख .....
6. वैवाहिक स्थिति .....
7. उन नियोजकों के नाम तथा पते, जिनके लिये पिछले 12 माह में कार्य किया .....

अनु. क्रमांक	नियोजक का नाम तथा पता	उस स्थापन का विवरण तथा स्थिति जहां आवेदक नियोजित है/था	स्थापना का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	पदनाम तथा आवेदक द्वारा किए गए कार्य का स्वरूप	नियोजन के प्रारम्भ तथा समाप्ति की तारीख		उन दिनों की संख्या, जिनमें वास्तविक रूप से नियोजन में रहे रहा	टिप्पणी
					प्रारम्भ	समाप्ति		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								
							योग	

8. ई.एस.आई./ई.पी.एफ. क्रमांक (यदि कोई हो) .....
   (एक) ई.एस.आई. क्रमांक .....
   (दो) ई.पी.एफ. क्रमांक .....
9. वह रीति, जिसमें आवेदन फीस का भुगतान किया गया: .....
   (एक) नगद में, बोर्ड के कार्यालय में (रसीद संलग्न करें) .....
   (दो) डी.डी. क्रमांक .....
   दिनांक .....

(बैंक) की शाखा .....

(डी.डी.संलग्न करें)

10. नियम 23 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित संलग्न हैं: .....

(1) आयु का सबूत .....

(2) अनुक्रमांक 7 में उल्लिखित स्थापन में असंगठित कर्मकार के रूप में नियोजन का सबूत (संलग्न दस्तावेज का विवरण दीजिए)

(एक) .....

(दो) (संलग्न दस्तावेज का विवरण दीजिए)

(तीन) .....

(3) प्ररूप 4 में नाम निर्देशन .....

(4) पासपोर्ट आकार के दो फोटो .....

उपरोक्त तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं सदस्य के रूप में मेरे मासिक अंशदान का, राज्य शासन द्वारा विहित की गई दर पर और बोर्ड द्वारा विहित रीति में नियमित रूप से भुगतान करने का वचन देता हूं।

मैं अनुरोध करता हूं कि मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 की धारा 14के अधीन सदस्य के रूप में मेरा रजिस्ट्रीकरण किया जाए।

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान .....

आवेदक की पहचान करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान .....

पहचान करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पता .....

121

प्ररूप – चार

[नियम 23 (ग) देखिए]

नाम निर्देशन का प्ररूप

मैं, अपनी मृत्यु की दशा में, **मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड/म.प्र. नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड** से समस्त शोध्यों को मेरी ओर से प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को मेरे अधिकारवान वारिस के रूप में एतद्द्वारा नाम निर्देशित करता हूं।

अनु. क्रमांक	नाम निर्देशिती/ नाम निर्देशितियों का नाम तथा पता	नाम निर्देशिती की जन्म तारीख	सदस्य से सम्बन्ध	अवयस्क स्थिति में संरक्षक का नाम	नाम निर्देशिती को भुगतान किये जाने वाले शोध्यों का प्रतिशत
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

स्थान :
तारीख :

हस्ताक्षर .....
आवेदक/सदस्य का नाम .....
पता .....
हस्ताक्षर .....
साक्षी का नाम .....
साक्षी का पता .....

प्ररूप – पांच

[नियम 23 (4) देखिए]

मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड/ मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड

सदस्यों का रजिस्टर

अनु. क्रमांक	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	पुरूष/स्त्री	क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से हैं?	रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख	पता	
						स्थायी	वर्तमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

जन्म तारीख	नियोजन का स्वरूप/पद नाम	नाम निर्देशिती	अभिदाय की दर	पासपोर्ट आकार का फोटो	पहचानपत्र जारी करने की तारीख	आवेदक के हस्ताक्षर	बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

प्ररूप – छः

[नियम 23 (4) देखिए]

मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड /
मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड

सदस्यों का परिचय – पत्र

भाग –एक
सामान्य विवरण

पासपोर्ट
आकार
का फोटो

1. सदस्य का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. पुरूष / स्त्री .....
4. जन्म तारीख .....
5. पता .....
   (1) वर्तमान पता .....
   (2) स्थायी पता .....
6. उस स्थापन के ब्यौरा जहां रजिस्ट्रीकरण के समय .....
   नियोजित रहे. .....
7. कार्य की प्रकृति एवं पदनाम .....
8. रजिस्ट्रीकरण क्रमांक .....
9. रजिस्ट्रीकरण का दिनांक .....
10. मासिक अभिदाय की दर .....

जारी करने की तारीख तथा स्थान

तारीख :

स्थान :

बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम
(कार्यालय मुद्रा सहित)

124

भाग –दो

परिवार के सदस्यों और नाम निर्देशितियों का विवरण

नाम निर्देशन की तारीख .....

परिवार का विवरण .....

अनु. क्रमांक	परिवार के सदस्य का नाम	सदस्य से संबंध	जन्म तारीख	अवयस्क की दशा मे संरक्षक का नाम	क्या नाम निर्देशिती के रूप मे नाम निर्दिष्ट है? और यदि हां तो प्रसुविधाओं में शेयर विनिर्दिष्ट करें	बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

भाग –तीन

नियोजन का विवरण

अनु. क्रमांक	उस स्थापना का विवरण और स्थिति जहां असंगठित कर्मकार नियोजित है।	नियोजक का नाम तथा पता	सदस्य द्वारा किये गये कार्य की प्रकृति तथा पदनाम	नियोजन के प्रारम्भ तथा समाप्ति की तारीख		उन दिनों की संख्या जिनमें वास्तविक रूप से नियोजित था	नियोक्ता अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
				प्रारम्भ	समाप्ति		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

भाग – चार

बोर्ड से प्राप्त प्रसुविधा का विवरण

अनु. क्रमांक	स्वीकृत प्रसुविधा का नाम	स्वीकृति की तारीख	स्वीकृत रकम	भुगतान की तारीख	यदि ऋण है तो उन किस्तों की संख्या, जिसमें वसूल की जाना है।	प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

जारी की जाने की तारीख तथा स्थान

तारीख .....

स्थान .....

बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम

(कार्यालय मुद्रा सहित)

प्ररूप – सात

[नियम 23 (5) देखिए]

पहचान पत्र में संशोधन हेतु आवेदन –पत्र

1. सदस्य का नाम : .....
2. पिता/पति का नाम : .....
3. पुरूष/महिला : .....
4. जन्म तारीख : .....
5. पता

   (एक) वर्तमान पता : .....

   (दो) स्थायी पता : .....
6. कार्य/नियोजन का स्वरूप : .....
7. रजिस्ट्रीकरण क्रमांक : .....
8. उस बोर्ड कार्यालय के ब्यौरे जहां सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत है : .....
9. रजिस्ट्रीकरण की तारीख : .....
10. इन संशोधन के ब्यौरे, जिनके लिए अनुरोध किया गया है : .....

संशोधित की जाने वाली मद	वर्तमान प्रविष्टि	अनुरोध की गई प्रविष्टि	क्या अनुरोध की गई, प्रविष्टि वर्तमान प्रविष्टि के बदले में या उसके अतिरिक्त है	संशोधन का कारण	परिवार के अतिरिक्त सदस्य की स्थिति में जोड़े जाने की तारीख	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

आवेदक/सदस्य के हस्ताक्षर

\27

प्ररूप -- आठ

[नियम 23 (7) देखें]

पहचान पत्र में संशोधन हेतु आवेदन –पत्र

1.	नाम	:	.....
2.	पिता/पति का नाम	:	.....
3.	पुरूष/महिला	:	.....
4.	पता		
	(1) वर्तमान पता	:	.....
	(2) स्थायी पता	:	.....
5.	क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से है	:	.....
6.	वैवाहिक स्थिति (अविवाहित/विवाहित/ विधवा)	:	.....
7.	जन्म तारीख	:	.....
8.	उस स्थापन का नाम, पता और रजिस्ट्रीकरण क्रमांक जहां आवेदक कार्यरत है	:	.....
9.	नियोजक का नाम एवं पता	:	.....
10.	कार्य/नियोजन का स्वरूप	:	.....
11.	ई.एस.आई/ई.पी.एफ. क्रमांक	:	.....
12.	वह तारीख, जब से वर्तमान नियोजक के लिए कार्यरत हैं	:	.....
13.	सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	:	.....
14.	बोर्ड का कार्यालय, जहां सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं	:	.....
15.	मासिक अभिदाय की दर	:	.....
16.	वह मास जिस तक अभिदाय का भुगतान किया गया	:	.....
17.	पहचान पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने के अनुरोध करने के कारण	:	.....

उपरोक्त तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य है। मेरा मूल पहचान पत्र इसके साथ समर्पित किया जा रहा है।

दो पासपोर्ट आकार के फोटो संलग्न है।
(जहां लागू हो)

तारीख :
स्थान :

आवेदक/सदस्य के हस्ताक्षर

प्ररूप – नौ

[नियम 24 (3) देखें]

अपील का रजिस्टर

अनु. क्रमांक	अपील क्रमांक	अपीलार्थी का नाम	अपील के प्रस्तुत करने की तारीख	उस आदेश के ब्यौरे, जिसके विरूद्ध अपील की गई			फीस के भुगतान का ढंग और भुगतान की गई रकम
				उस अधिकारी का पदनाम, जिसने आदेश पारित किया	आदेश की तारीख	आदेश का सार	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

१२१

प्ररूप – दस

[नियम 25 (1) देखें]

नियोजक द्वारा नियोजित असंगठित कर्मकारों तथा उनमें से सदस्यों का रजिस्टर

1. स्थापन का नाम तथा पता, जहां असंगठित कर्मकार कार्य कर रहा है : ....
2. स्थापन का स्वरूप : ....
3. स्थापन का नाम तथा स्थायी पता : ....
4. नियोजक का नाम तथा पता : ....

अनु.	कर्मकार का नाम तथा उपनाम	आयु तथा लिंग	पिता/पति का नाम	नियोजक का स्वरूप नाम	कर्मकार का स्थायी घर का पता (ग्राम, तहसील तथा जिला)	स्थानीय पता	नियोजन के प्रारंभ की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

कर्मकार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	नियोजन की समाप्ति की तारीख	समाप्ति के कारण	यदि असंगठित कर्मकार सदस्य है/था		यदि असंगठित कर्मकार सदस्य नहीं रहा		सदस्य ने नियोजक को अंशदान की कटौती के लिये धारा (2) के अधीन प्राधिकृत किया यदि हां तो माह तथा वर्ष जब से प्राधिकृत किया	टिप्पणी
			रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	वह तारीख जब से नहीं रहा	नहीं रहने के कारण		
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

प्ररूप – ग्यारह

[नियम 31 (1) देखें]

असंगठित कर्मकारों का नियोजन करने वाली स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

1. स्थापन का नाम और अवस्थिति जहां असंगठित कर्मकार नियोजित है
2. स्थापन का डाक पता
3. स्थापन का पूरा नाम और स्थायी पता, यदि कोई हो
4. स्थापन के प्रबंधक अथवा उसके पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिये उत्तरदायी व्यक्ति का पूरा नाम और पता.
5. स्थापन में होने वाले कार्य की प्रकृति
6. किसी दिन नियोजित किये जाने वाले असंगठित कर्मकारों की अधिकतम संख्या
7. मांग ड्राफ्ट की विशिष्टियां (बैंक/शाखा का नाम, रकम, नम्बर और तारीख)

नियोजक द्वारा घोषणा :

(1) मैं यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई विशिष्टयां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं.

(2) मैं मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम 2003 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन करने का वचन देता हूँ.

मुख्य नियोजक

मुद्रा और स्टाप

मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 और उसके अधीन बनाए गये मध्यप्रदेश नियमों के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय

आवेदन प्राप्ति की तारीख :

प्राप्ति, क्लर्क के हस्ताक्षर एवं मुद्रा

131

प्ररूप – बारह

[नियम 32 (1) देखें]

मध्यप्रदेश शासन

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का कार्यालय

मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 की धारा 22 की उपधारा (1) के और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन, उपाबंध में अधिकथित शर्तों के अधीन रहेतहुए .... निम्नलिखित स्थापनों को, विशिष्टियों से युक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है:–

1. स्थापना का नाम
2. पता/स्थापना की अवस्थिति
3. नियोजक का नाम और स्थायी पता
4. स्थापना में कार्य की प्रकृति
5. नियोजक द्वारा किसी भी दिन नियोजित किये जाने वाले असंगठित कर्मकारों की अधिकतम संख्या
6. कार्य के प्रारंभ होने और समाप्त होने की संभावित तारीख
7. असंगठित कर्मकारों के नियोजन के लिये सुसंगत अन्य विशिष्टियां

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर मुद्रा के साथ

उपाबंध

यहां ऊपर प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् :–

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अस्थानांतरणीय होगा;

(ख) किसी भी दिन नियोजित कर्मकारों या स्थापन में असंगठित कर्मकारों की संख्या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी;

(ग) इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के प्रदान के लिये संदत्त की गई फीस अप्रतिदेय होगी;

(घ) असंगठित कर्मकारों को नियोजक द्वारा संदेय मजदूरी दर, ऐसे नियोजन में जहांवह लागू है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 2) के अधीन निर्दिष्ट दरों से कम नहीं होगी और जहां दरें किसी करार, समझौते या पंचाट द्वारा नियत की गई हैं वहां इस प्रकार नियत दरों से कम नहीं होगी;

(ड.) नियोजक अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा

प्ररूप – तेरह
[नियम 31 (2) देखें]

स्थापनों का रजिस्टर

क्रम संख्या	रजिस्ट्रीकरण संख्या और तारीख	स्थापन का नाम तथा पता जहां असंगठित श्रमिक नियोजित हैं	नियोजक का नाम और उसका पता	कार्य की प्रकृति	स्थापन का नाम तथा स्थायी पता	किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले असंगठित कर्मकारों की अधिकतम संख्या	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(नीरज दुबे)
उप सचिव,म.प्र.शासन
श्रम विभाग

क्र0 एफ 28–9/05/ब/सोलह, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 28–9/05/ब/सोलह दिनांक 30 अप्रैल, 2005, का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(नीरज दुबे)
उप सचिव,म.प्र.शासन
श्रम विभाग

Madhya Pradesh Asangathit Karmakar Kalyan Rules

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER - I

Preliminary

Rule

01	Short title, application and commencements
02	Definitions

CHAPTER - II

Welfare Boards for Unorganized workers of Rural and Urban Areas

03	Constitution of the Boards
04	Term of Office
05	Resignation
06	Vacation of office
07	Filling up of casual vacancies
08	Meeting of each Board and quorum
09	Notice of meeting and list of business
10	Chairperson to preside at meetings
11	Transaction of Business
12	Minutes of Meeting
13	Allowances payable to Non official members
14	Sub-committees of the each Board
15	Duties and functions of the each Board
16	Appointment of Secretary, other Officers and Staff
17	Recruitment Procedure and Service Conditions of Officers and Staff of the Board
18	Madhya Pradesh Rural Unorganized Worker's Welfare Fund and Madhya Pradesh Urban Unorganized Workers Welfare Fund
19	Investments
20	Budget
21	Annual Report
22	Execution of Contract

CHAPTER - III

Registration of Unorganized Workers as Member of Welfare Fund

	Procedure for registration as a member
24	Appeal
25	Register of Members
26	Contribution to the Fund

CHAPTER - IV

Benefits & General Welfare Activities

27	Benefits
28	Main Provision Regarding Benefits
29	Board to notify Schemes laying down Procedural and Other Residual matters regarding Benefits
30	General Welfare Activities

CHAPTER - V

Registration of Establishments and Contribution to the Boards

31	Manner of making application for registration of establishments
32	Grant of Certificate of Registration
33	Payment of additional fees and amendment of register etc.
34	Conditions of registration
35	Fees.

CHAPTER - VI

Appeals, Copies of Orders, Payment of Fees etc.

36	Filing of appeal before the appellate officer
37	Failure to appear on the date of hearing
38	Restoration of appeals
39	Hearing of appeal
40	Copy of order of Registration or of Order in Appeal
41	Payment of Fees
42	Contribution by employer

SCHEDULE

SCHEDULE-1	List of Employments

FORMS

Form - I	Budget for the financial year
Form - II	Annual Report
Form - III	Application for Registration as Member
Form - IV	Nomination Form
Form - V	Register of Members
Form - VI	Members' Identity Card
Form - VII	Application for amendment in Identity Card
Form - VIII	Application for Duplicate Identity Card
Form - IX	Register of appeals
Form - X	Register of unorganized workers employed by the employer and of members among them
Form - XI	Application for registration of establishment employing unorganized workers
Form - XII	Certificate of Registration
Form - XIII	Register of Establishments

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
LABOUR DEPARTMENT
MANTRALAYA

NOTIFICATION

Bhopal, Dated 30 April, 2005

F.No. 28-9/05/B/XVI -In exercise of the powers conferred by section 51 of the Madhya Pradesh Asangathit Karmkar Kalyan Adhiniyam, 2003 (No. 9 of 2004), the State Government hereby makes the following rules relating to constitution of Board, its functions and meetings and allied matters, namely:-

RULES

CHAPTER - I - PRELIMINARY

1. Short title, application and commencement:

(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Asangathit Karmkar Kalyan Rules, 2005.

(2) They shall apply to the employments specified in the schedule in which appropriate Government is the State Government under the Act.

(3) They shall come into force on such date, as the State Government may, by notification, appoint.

2. Definition :

In these rules, unless the context otherwise requires:

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Asangathit Karmkar Kalyan Adhiniyam, 2003 (No. 9 of 2004).

(b) "Board" means the Madhya Pradesh Rural unorganized worker's welfare Board and the Madhya Pradesh Urban unorganized worker's welfare board, as the case may be, constituted under section 3 of the Act;

(c) "Form" means forms appended to these rules;

(d) "Section" means a section of the Act;

(e) "State Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(f) words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

CHAPTER - II

WELFARE BOARD FOR UNORGANIZED WORKER'S OF RURAL AND URBAN AREAS

3. Constitution of the Board :

The Madhya Pradesh Rural Unorganized Worker's Welfare Board and the Madhya Pradesh Urban Unorganised workers welfare Board shall separately consists of :

(a) The Minister for Labour, Madhya Pradesh as the ex-officio Chairperson for each Board;

(b) Secretary to the Government in charge of Labour Department;

(c) Labour Commissioner, Madhya Pradesh;

(d) Secretary to the Government in charge of Finance Department over his nominee not below the rank of Deputy Secretary;

(e) Six members to be appointed by the State Government representing employers of unorganized sector for each Board separately;

(f) Six members to be appointed by the State Government representing unorganized workers, two of whom shall be women for each Board separately and one of whom shall be from Scheduled Castes, one from Scheduled Tribes and one from Other Backward classes.

4. Terms of Office :

(1) A member appointed under clauses (e) and (f) of rule 3 shall hold office at the pleasure of the State Government.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (1), a member specified therein shall, unless he resigns his office or dies or otherwise vacate his office at an earlier date, hold office for a period for three years from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette appointing him as a member of the

Board for each Board separately and shall be eligible for re-appointment.

5. Resignation :

(1) A member appointed under clauses (e) and (f) of rule 3 may resign his office by writing under his hand addressed to the State Government.

(2) The resignation shall take effect from the date of its acceptance by the State Government.

6. Vacation of office :

A member appointed under clauses (e) and (f) of rule 3 shall be deemed to have vacated his office, if ---

(a) he is declared to be of unsound mind or an undischarged insolvent by a competent court, or

(b) he is convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or

(c) he is absent from three consecutive meetings of the Board without leave of absence from the Chairperson or

(d) he ceases to represent the interest for representing which he was appointed.

7. Filling up of casual vacancies :

A member appointed to fill a casual vacancy, arising due to death resignation or otherwise of the member shall hold office for the remaining period of the term of office of the member, in whose place he is appointed.

8. Meeting of each Board and Quorum :

(1) The each Board shall ordinarily meet once in three month:

Provided that the Chairperson shall, within fifteen days of the receipt of a requisition in writing from not less than one

third of the members of the Board, call a special meeting thereof.

(2) No business shall be transacted at any meeting of the Board, unless at least six members are present, of whom at least one shall be from among those appointed under clause (a), (b) and (c) of rule 3.

9. Notice of meeting and list of business :

Notice intimating the date, time and venue of every meeting, together with a list of business to be transacted at the meeting, shall be sent by registered post or by special messenger, to each member fifteen days before the meeting for each Board separately:

Provided that when the Chairperson calls a meeting for considering any matter which in his opinion is of urgent nature, notice of not less than three days shall be deemed sufficient.

10. Chairperson to preside at meetings :

The Chairperson shall preside over all meetings of the each Board, if the Chairperson is, for any reason, unable to attend a meeting of the Board, Member appointed under clause (b) and if the Chairperson and the member appointed under clause (b) are, for any reason, unable to attend a meeting of the Board, member appointed under clause (c) shall preside at the meeting.

11. Transaction of Business :

All questions which come up before any meeting of the each Board shall be decided by a majority of votes of the members present and voting, and in the event of equality of votes, the Chairperson, or in his absence, the person presiding, shall have a second or casting vote.

12. Minutes of meeting :

The proceedings of each meeting of the each Board shall be recorded and circulated to all members after approval by the Chairperson as soon after

the meeting as possible, subject to confirmation in the next meeting of the Board. After such confirmation, they shall be recorded in a Minute Book, which shall be kept for permanent record.

13. Allowances payable to Non-official members :

Every non-official members shall be paid traveling allowance and daily allowance for attending meetings of the each Board and its sub-committees at the rates decided by the Board.

14. Sub-Committees of the each Board :

(1) The Board may appoint such sub-committees, as it may deem fit for the proper discharge of its duties.

(2) Every sub-committee shall include at least one member appointed to the Board under clause (a), (b) and (c) of rule 3.

Provided that the sub-committee shall continue in office until a new sub-committee is constituted.

(3) The Board may frame regulation for conduct of business of the sub-committees. Recommendations of every sub-committee shall be placed before the Board for decision.

15. Duties and functions of the each Board :

(1) The Board shall be responsible for:

(a) All matters connected with the administration of the Fund, including laying down policies for the investment of the amount standing therein;

(b) Submission of annual budget, annual report and audited accounts to the Government under sections 10, 11 and 12 respectively of the Act;

(c) Proper maintenance of accounts and their annual audit in accordance with the provisions of section 12 of the Act;

(d) Collection of contribution to the fund and other charges;

(e) Proper and timely recovery of amounts due to the Board;

(f) Performing functions specified and prescribed under section 7 of the Act.

(2) Each Board shall furnish to the Government such information as it may seek from time to time.

16. Appointment of Secretary, other officers and Staff :

(1) Each Board shall, with prior concurrence of the State Government appoint an officer not below the rank of a Deputy Labour Commissioner as Secretary of the Board.

Provided that one person may be appointed as secretary of both the Boards;

(2) Each Board may appoint such other officers and employees, as it may consider necessary for the efficient discharge of its functions:

Provided that no post shall be filled up in the each Board, unless its creation has first been approved by the State Government.

17. Recruitment procedure and service conditions of officers and staff of the Board :

(1) The following rules applicable to employees of the State Government shall, mutates mutandis, apply to officers and employees of the each Board :

(a) Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961;

(b) Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965;

(c) Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal Rules, 1966;

(d) Madhya Pradesh Civil Services (Medical Examination Rules, 1972)

(e) Madhya Pradesh Civil Services (Leave) Rules, 1977;

(f) Madhya Pradesh Civil Services (Joining Time) Rules, 1982.

(g) Madhya Pradesh Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the State Civil Services on Posts of Class III and Class IV) Rules, 1985;

(h) Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision of appointment of Women) Rules, 1997;

(i) Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002.

(2) Classification, pay scales, allowances, recruitment procedure, and terms and conditions of service of officers and employees of the Board, to the extent not expressly provided in the Rules specified in sub-rule (1), shall be such, as may be determined by the Board with the prior approval of the State Government.

18. Madhya Pradesh Rural Unorganized Worker's Welfare Fund and Madhya Pradesh Urban Unorganized Workers Welfare Fund :

(1) Each Board may, as soon as may be, after coming into force of these rules, constitute a Fund to be called the "Madhya Pradesh Rural unorganized worker's welfare fund and Madhya Pradesh Urban Unorganized Workers Welfare Fund" in accordance with the provisions of the Act and these rules.

(2) The fund shall vest in and be administered by concerning Board.

19. Investments :

All moneys belonging to the fund may be invested in Scheduled Banks or in securities referred to in clauses (a) to (d) of section 20 of the Indian Trust Act, 1882 (Central Act 2 of 1882)

20. Budget :

(1) Each Board shall prepare and approve before 10th March every year its budget for the next financial year, showing its estimated receipts and expenditure.

(2) The Budget shall be prepared in Form-I and after approval by the Board, shall be forwarded to the State Government so as to reach by 20th March every year.

21. Annual Report :

A report on the functioning of the Board during every financial year shall be approved by the Board before 15th June of the following financial year and shall be submitted to the Government by the 31st July of that year in the Form-II.

22. Execution of Contract :

All orders and other instruments on behalf of the Board shall be made and executed in the name of each Board and shall be authenticated by such person as each Board may specify.

CHAPTER - III

Registration of Unorganized Workers as Member of Welfare Fund

23. Procedure for registration as a member :

(1) An application for registration as member under Sub-Section (1) of Section 14 of the Act, shall be made in duplicate in Form-III annexed to these Rules separately to the Officer authorized by Madhya Pradesh Rural Unorganized worker's Welfare Board and the Madhya Pradesh Urban Unorganized Workers Welfare Board in this behalf under sub-section (3) of Section 14, and shall be accompanied by the following documents namely :

(a) Proof of age in one or more of the following forms, namely:

(i) Certificate or Mark Sheet awarded by an Examination Board or University, or School leaving Certificate issued by the last school attended.

(ii) Certificate from the Registrar of Births and Deaths,

(iii) Certificate from the Gram Panchayat or Chief Municipal Officer.

(iv) In the absence of the above certificates, a certificate from a Medical Officer not below the rank of an Assistant Surgeon in Government Service.

(b) Proof of status as unorganized worker for at least ninety days during the preceding one year, which would normally be a certificate to that effect issued by the employer, for whom the applicant has been working. However, in appropriate cases, the following may also be considered as proof of status, namely: -

(i) a Certificate issued by unorganized workers Union registered under the Trade Unions Act, 1926.

(ii) A certificate issued by the Inspector having jurisdiction over the concerned area.

(iii) A Certificate issued by the Chief Executive Officer of the Janpad Panchayat or the Municipal body concerned, by whatever name called.

(c) A Nomination in Form-IV.

(d) Two Passport Size Photographs.

(2) Every application referred in sub-rule (1) shall be accompanied by a fee of Rs. 10/- (Rupees Ten) payable to the concerned board in cash or an account payee Demand Draft.

(3) Receipt of every application referred to in sub - rule (1) shall be acknowledged by the concerned Board.

(4) If the officer referred to in sub-rule (1) is satisfied after due inquiry that the applicant fulfils the eligibility criteria specified in sub-section (1) of section 14 of the Act and has complied with the provisions of the Act and the Rules made there under, he shall enter the name of the worker as a member in a Register of members which shall be maintained in Form-V and shall also issue to him an identity card in Form-VI.

Provided that the authorized officer may, after giving the applicant an opportunity of being heard, reject the application if, after enquiry, he comes to the conclusion that the applicant does not fulfill the eligibility criteria and/or has not complied with the provisions of the Act and these rules:

Provided further that every application received under sub-rule (1) shall ordinarily be decided within a maximum period of one month, and in the event of rejection, reasons thereof shall be communicated to the applicant in writing.

(5) If in relation to a member any change occurs in any particulars specified in the identity card referred to in sub-rule (4) any updating becomes necessary therein, the member shall intimate the officer referred to in sub-rule (1), within sixty days from the date when such change takes place or the updating becomes necessary, as the case may be, the date and particulars of such change or the need of updating and the reasons thereof, in Form-VII.

(6) Where, on receipt of the intimation referred to in sub-rule (5), the officer is satisfied that there has occurred a change in the particulars of the member as entered in the identity card, or that such particulars need to be updated, he shall amend the said card and also record the change which has occurred in the register referred to in sub - rule(4).

(7) If an identity card is lost, mutilated or the pages contained therein are exhausted, the member concerned may apply in

Form-VIII to the officer specified in sub-rule (1) for issue of a Duplicate/Continuation Identity card. The application for a Duplicate Identity Card shall be accompanied by a fee of Rupees Ten only payable to the Board in cash or an account payee Demand Draft.

(8) On receipt of an application under sub-rule (7), the officer concerned shall, after checking its contents with the entries in the Register of members and satisfying himself as to the bona-fides of the application, issue a duplicate or continuation identity card;

Provided that an application for duplicate identity card may be rejected for reasons to be recorded, after giving the applicant an opportunity of being heard.

24. <u>Appeal :</u>

(1) Any person aggrieved by a decision under sub-rule (4) of Sub rule (8) of Rule 23 may, within thirty days from the date of such decision, prefer an appeal to the Secretary or any other officer specified by the Board in this behalf (hereinafter referred to as the appellate officer).

(2) A memorandum of appeal shall be accompanied by a certified copy of the order appealed against and a fee of Rs. 10/- (Rupees Ten) payable to the concerned Board in cash or an account payee Demand Draft.

(3) Where the memorandum of appeal is in order, the appellate officer shall admit the appeal, endorse thereon the date of its receipt, and shall enter it in a Register to be kept for the purpose, called the "Register of Appeals" in Form-IX.

(4) When an appeal has been admitted under sub-rule (3), the appellate officer shall requisition the record of the case from the concerned registering officer, and shall, on receipt of the record, dispose of the appeal through a written order after examining

the record of the case and hearing the appellant and such other persons, as he may consider necessary.

25. Register of Members :

(1) Every employer in relation to an establishment to which the Act applies on the date of commencement of these Rules, shall, within thirty days from such commencement, shall maintain a Register in Form-X showing details of employment of Members employed by him.

(2) The Register mentioned in Sub-Rule (1) may be inspected, without any prior notice by the secretary of the Board concerned, or any other person duly authorized by the Board concerned.

26. Contribution to the Fund :

(1) Every member shall contribute to the Fund at such monthly rate as may be specified in the notification issued by the State Government under section 18 of the Act. The contribution shall be remitted in advance on a monthly or quarterly basis in any of the banks specified by the Board in the district in which the member resides.

(2) A member may authorize his employer to deduct his contribution from his monthly wages and to remit the same, within fifteen days from such deduction, to the Board.

(3) If a member commits default in payment of contribution continuously for a period of one year, he shall cease to be a member.

Provided that if the Secretary of the Board concerned is satisfied that the non-payment of contribution was due to a reasonable cause and that the member is willing to deposit the arrears, he may allow the member to deposit the arrears of his

contribution and on such deposit being made the registration of member shall stand restored.

CHAPTER - IV

BENEFITS AND GENERAL WELFARE ACTIVITIES

27. Benefits :

Subject to the provisions of the Act and these rules, the Board concerned may extend all or any of the benefits specified in the table below, to the members (including in appropriate cases, to their dependants), who have contributed to the Fund.

Benefits

TABLE

1. **Pension**
   1. Old Age Pension
   2. Family Pension
   3. Disability Assistance and Pension
2. **Assistance for Housing**
   (1) Loan for purchase or construction of House.
   (2) Interest subsidy for Housing Loan, taken from a housing finance institution.
3. **Education**
   (1) Scholarship
   (2) Education Loan
   (3) Interest subsidy for Education Loan taken from a financial institution.
   (4) Cash award to meritorious students.

4. **Assistance for Income Augmentation**
   (1) Loan for purchase of Tools and small machines
   (2) Interest subsidy for supplementary income generating activities.
5. **Marriage Assistance**
6. **Medical Assistance**
7. **Maternity Assistance**
8. **Insurance Assistance**
   (1) Group Insurance
   (2) Assistance for payment of Insurance Premium
9. **Assistance in Case of Death**
   (1) Funeral Assistance
   (2) Ex-gratia Payment

28. Main provision regarding Benefits :

(1) Unless otherwise specified by or under these rules, no moneys payable by way of a Benefit shall be paid in cash, but shall be credited into the bank account of the member or other eligible recipient, as the case may be, maintained in a Scheduled bank or a regional rural bank or a District Central Co-operative Bank.

(2) Detailed provisions in respect of the following matters concerning benefits enumerated in rule 27, namely :
   (a) nature of benefit;
   (b) person to whom benefit shall be payable;
   (c) broad guidelines, if any, governing the rate at which benefit shall be paid.

29. Board to notify schemes laying down procedural and other residual matters regarding benefits :

The Board concerned shall draw up and, with the previous approval of the State Government, notify, in respect of each benefit or group of benefits, specified in rule 27 a Scheme laying down procedure, Forms and all other residuary matters not expressly provided in the Act and these rules, which shall include :

(i) rates at which various benefits shall payable.

(ii) procedure and Form for making application.

(iii) procedure for an authority competent to grant sanction.

(iv) any other incidental matters.

30. General Welfare Activities :

(1) In addition to granting benefits referred to in rule 27 and 28 to individual member, the Board concerned may undertake the following activities with a view to promoting general welfare of unorganized workers, namely:

(a) Commissioning surveys, studies etc. to ascertain pattern of employment, skills, income, wages and working conditions of workers, and the impact of various programmes of the Government and the Board meant for their welfare.

(b) Spreading awareness among workers about their statutory rights, procedure of enforcing those rights, redressing grievances, and availing of various welfare and development schemes.

(c) Promoting health of women and children, the small family norms, and elimination of social evils like drinking, dowry, child marriage etc.

(d) Organizing sports, cultural and recreational activities for workers, and study tours for groups of workers; and

(e) any other activities with the prior approval of the State Government aimed at promoting welfare of workers as a whole.

(2) The expenditure in any financial year on activities enumerated in sub-rule (1) shall not exceed five percent of the total expenditure of the Board concerned in that year.

CHAPTER - V

REGISTRATION OF ESTABLISHMENTS AND CONTRIBUTION TO THE BOARD

31. Manner of making application for registration of establishments:

(1) Every employer in relation to an establishment to which the Act applies, on the date of commencement of the Act, shall within sixty days from such commencement, make an application referred to in sub-clause (a) or (b) of sub section (1) of section 22 of the Act in triplicate, in Form-XI annexed to these rules to registering officer of the area appointed under section 20 of the Act.

(2) Every application referred to in sub-rule (1) shall be accompanied by a demand draft showing payment of fees for the registration of the establishment.

(3) Every application referred to in sub-rule (1) shall be either personally delivered to the registering officer or sent to him by registered post.

(4) On receipt of the application referred to in sub-rule (1), the registering officer shall, after noting thereon the date of receipt by him of the application, grant an acknowledgement to the applicant.

32. Grant of Certificate of Registration :

(1) The Registering Officer, after receiving application under sub-rule (1) of rule 31 shall register the establishment and issue a certificate or registration to the application within fifteen days of receipt of application, if such applicant has complied with all the requirements, as laid down in these rules and has made the

application within such period, as specified under clause (a) and (b) of sub-section (1) of Section 22 of the Act. The certificate of registration to be granted by the registering officer shall be in Form-XII annexed to these rules.

(2) The registering officer shall maintain a register in Form-XIII annexed to these rules showing the particulars of establishments in relation to which Certificates of Registration have been issued by him.

(3) If, in relation to an establishment, any change occurs in the ownership or management or other particulars specified in the certificate of registration the employer of the establishment shall intimate the registering officer, within thirty days from the date, when such change takes place, the date and particulars of such change, and the reasons thereof.

33. <u>Payment of additional fees and amendment of register etc :</u>

(1) Where on receipt of the intimation under sub-rule (3) of rule 32, the registering officer is satisfied that an amount higher than the amount, which has been paid by the employers as fees for the registration of the establishment is payable, he shall require such employer to pay additional sums which, together with the amount already paid by such employer, would be equal to such higher amount of fees payable for the registration of the establishment.

(2) Where, on receipt of the intimation referred to in sub-rule (3) of rule 32 the registering officer is satisfied that there has occurred a change in the particulars of the establishment, as entered in the register in Form-XIII annexed to these rules, he shall amend the said register and record therein the change which has occurred. Provided that the registering officer shall not carry out any amendment in the register in Form-XIII annexed to these rules, unless the appropriate fees have been deposited by the employer.

34. Conditions of registration :

(1) Every certificate of registration issued under rule 32 shall be subject to the following conditions, namely :

(a) The certificate of registration shall be non-transferable;

(b) The number of workers employed shall not, on any day, exceed the maximum number specified in the certificate of registration, and

(c) Save as provided in these rules, the fees paid for the grant of registration certificate shall be non refundable.

(2) The employer shall intimate the change, if any, in the number of workers or the conditions of work to the Registering Officer within fifteen days.

35. Fees :

(1) The fees to be paid for the grant of a certificate of registration under rule 32 shall be as specified below, namely :

If the number of workers proposed to be employed as unorganized workers, to work on one day :

(a)	is up to 100	Rs.	50.00
(b)	Exceeds 100 but does not exceed 500	Rs.	250.00
(c)	exceeds 500	Rs.	500.00

CHAPTER - VI

APPEAL, COPIES OF ORDERS, PAYMENT OF FEES ETC.

36. Filing of appeal before the appellate officer :

(1) Every appeal under sub-section (1) of Section 24 of the Act shall be preferred in the form of a memorandum signed by the aggrieved person or his authorized advocate and presented to the appellate officer in person or sent to him by registered post.

(2) The memorandum shall be accompanied by a certified copy of the order appealed against and a demand draft for rupees one hundred.

(3) The memorandum shall set forth concisely and under distinct heads and grounds of appeal.

(4) Where the memorandum of appeal does not comply with the provisions of sub-rule (2) and sub-rule (3), it may be returned to appellant for the purpose of being amended with in a time to be fixed by the appellate officer which shall not exceed thirty days from the date, on which the order appealed against has been communicated to the appellant.

(5) Where the memorandum of appeal is in order, the appellate officer shall admit the appeal, endorse thereon the date of hearing of such appeal, and shall register the appeal in a book to be kept for the purpose.

(6) (i) When the appeal has been admitted under sub rule (5), the appellate officer shall send the notice of the appeal to the Registering Officer against whose order the appeal has been preferred and the registering officer shall thereupon send the record of the case to the appellate officer.

(ii) On receipt of the record, the appellate officer shall send a notice to the appellant to appear before him at such date and time, as may be specified in the notice for the hearing of the appeal.

37. <u>Failure to appear on the date of hearing :</u>

If on the date fixed for hearing, the appellant does not appear, the appellate officer may dismiss the appeal for default of appearance of the appellant.

38. Restoration of appeals :

Where an appeal has been dismissed under rule 37, the appellant may apply appeal to the Appellate Officer for the restoration of the appeal and if the appellate officer is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from appearing, the appellate officer shall restore the appeal on its original number.

Provided that an application for restoration under this rule shall not be entertained by the appellate officer after thirty days from the date of such dismissal.

39. Hearing of Appeal :

(1) If the appellant is present when the appeal is called on for the hearing, the appellate officer shall proceed to hear the appellant or his authorized advocate and pass an order on the appeal, either confirming, reversing or varying the order appealed against.

(2) The order of the appellate officer shall state that points for determination, the decisions thereon and reasons for such decisions.

(3) The order shall be communicated to the appellant and copy thereof shall be sent to the registering officer against whose order, the appeal has been preferred.

40. Copy of order of Registration or of Order in Appeal :

Copy of the order of the registering officer or of the appellate officer may be obtained by the person concerned or a person authorized by him on payment of fees of rupees fifty for each order on making application to the registering officer or the appellate officer, as the case may be, specifying the date and other particulars of the order made by the officer concerned. A copy of the certificate of registration on loss or mutilation of such certificate may at so be obtained in the like manner and on payment of like fees.

41. Payment of Fees :

All amounts of money payable on account of registration, appeal, supply of copies or duplicate copies of certificate of registration shall be paid in the designated account of the Board.

42. Contribution by employers :

(1) Every employer shall contribute to the Madhya Pradesh Urban Unorganized workers. Welfare Board or the Madhya Pradesh Rural Unorganized workers' Welfare Board, as the case may be at such monthly rate, as may be specified in the notification issued by the State Government under sub-section (1) of section 26 of the Act. The contribution payable shall be paid by means of demand draft in favour of the secretary or such other officer of the such Board as specified.

(2) The employer commits default in payment of contribution after issuing a notice as specified under sub-section (5) of section 26 of the Act the Board may issue a certificate to the Collector of the District concerned for the recovery of the amount stated there in as arrears of land revenue, and the Collector shall, thereupon, proceed to recover the amount as arrears of land revenue and remit it to the concerned Board;

Provided that if an employer submits a representation in reply to a Notice issued under sub-section (5) of section 26 showing cause. Certificate as above shall be issued only after taking such representation into consideration, making such enquiry, as may be necessary, and passing a speaking order giving reasons for rejecting the representation.

THE SCHEDULE
List of Employments
Part-1

1- Employment in agriculture, including horticulture and agro-processing.
2- Employment in dairy, poultry, piggery and other animal husbandry.
3- Employment in fisheries.
4- Employment in forestry-including in activities pertaining to extraction and collection of major and minor forest produce.
5- Employment in Sericulture.

157

Part-2

1- Employment in qurrying and extraction of laterite boulder, building stone, road metal, gravel, murrum, sand and clay.
2- Employment in breaking and crushing of stone.
3- Employment in brick kilns and tile-making.

Part-3

1- Employment in connection with loading, unloading, stacking, packing, carrying, weighing, measuring or such other manual work including work preparatory or incidental to such operations :
(a) in any market or shop or depot, or factory or ware- house or godown or any other establishment ;
(b) in any market under the control of Market Committees constituted under the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973).
2- Employment in connection with loading of goods into public transport vehicles or unloading of goods thereform, and any other operation incidental or connected thereto.
3- Employment in connection with loading, unloading and carrying of food grains into godowns, sorting and cleaning of food grains, filling food grains in bags, stitching of such bags and such other work incidental and connected thereto.

Part-4

1- Employment in Khadi, handloom and powerloom industry.
2- Employment in bleaching, dyeing and printing of cloth.
3- Employment in tailoring.

Part-5

1- Employment in making of incense sticks (agarbatti)
2- Employment in embroidery, smocking and making of ready-made garments.
3- Employment in making of papad, pickles, jams, jellies, other preserved food items, ready-to-use spices and condiments.
4- Employment in cooking food.
5- Employment in making of toys.

Part-6

1- Employment in tanning and processing of leather.
2- Employment in making and repair of footwear and other leather.
3- Employment in cleaning and seavenging services.

Part-7

1- Employment in rag picking.
2- Employment in door-to-door collection (and sale) of old newspapers (raddi) and discarded articles (kabadi).
3- Employment as hawker and street - vendor.

Part-8

1- Motor transport workers, as defined in Motor Transport Workers Act, 1961 (No 27 of 1961).
2- Employment in plying of cycle rickshaws, auto-rickshaws and taxis, but not qualifying as motor transport workers.
3- Employment in Flour, Oil, Dall and Rice Mills.
4- Employment in Private Security Services
5- Employment in plastic Industries.
6- Employment in Wood Working Units
7- Employment in Utensil-making.
8- Employment as Artisans eg. Blacksmith, Carpenter, Potter, Cobbler, etc.
9- Employment in Durrie & Carpet-making
10- Employment in Fireworks and Match industry.
11- Employment in making cartons and other packing materials.

१५९

Form-1

(See Rule 20(2)

Madhya Pradesh Rural Unorganized Worker's Welfare Board/ Madhya Pradesh Urban Unorganized Worker's Welfare Board

BUDGET FOR THE FINANCIAL YEAR ....

Part-I RECEIPTS

	Head	Actual Receipts in the previous financial year	Estimated Receipts for the current year as per Budget	Actual Receipts in first three quarters of the current year	Estimated Receipts for next financial year
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Cess received				
2.	Contribution received from members				
3.	Grant received from State Government				
4.	Contribution received from employers				
5.	Interest				
6.	Other Receipts				
	Total Receipts				

Part-II EXPENDITURE

	Head	Actual Expenditure in the previous financial year	Estimated Expenditure for the current year as per Budget	Actual Expenditure in first three quarters of the current year	Estimated Expenditure for next financial year
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**Expenses on meetings of the Board**				
	1.1 TA/DA of Members				
	1.2 Refreshments				
	1.3 Other Incidental Expenses				
	Total (1)				
2.	**Expenses on Staff**				
	2.1 Pay & Dearness Allowance				
	2.2 Medical Allowance				
	2.3 House Rent Allowance				
	2.4 Travelling Allowance/DA				
	2.5 Loans and Advances				
	2.6 Others				
	Total (2)				
3.	**Office Expenses**				
	3.1 Water & Electricity				
	3.2 Rent and Taxes				
	3.3 Stationery & Printing				
	3.4 POL Expenses				
	3.5 Furniture & Fixtures				
	3.6 Telephone Expenses				
	3.7 Postage & Telegrams				
	3.8 Books and Periodicals				
	3.9 Liveries				
	3.10 Other Contingent Expenses				
	Total (3)				
4.	**Capital Expenses**				
	4.1 Purchase of Vehicle				
	4.2 Construction/Purchase/ Repair/Renovation of Building				
	4.3 Purchase of Equipments				
	4.4 Other Capital Expenses				
	Total (4)				

161

	Head	Actual Expenditure in the previous financial year	Estimated Expenditure for the current year as per Budget	Actual Expenditure in first three quarters of the current year	Estimated Expenditure for next financial year
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	**Expenses on benefit as specified in Rule 27**				
	5.1				
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				
	5.6				
	Total (5)				
6.	**Expenses on General Welfare Activities as defined in Rule 27**				
	6.1				
	6.2				
	6.3				
	6.4				
	Total (6)				
	TOTAL EXPENDITURE				

Place :
Date :

Signature of Secretary
M.P. Rural Unorganized Worker's Welfare Board
M.P. Urban Unorganized Worker's Welfare Board

Part-III SUMMARY

Head	Amount
(1)	(2)
Estimated Total Receipts	
Estimated Total Expenditure	
Estimated Surplus/Deficit [1-2]	

Place :
Date :

Signature of Secretary
M.P. Rural Unorganized Worker's Welfare Board
M.P. Urban Unorganized Worker's Welfare Board

FORM II
(See Rules 20)

M.P. Rural Unorganized workers Welfare Board /
M.P. Urban Unorganized workers welfare Board

ANNUAL REPORT ON THE FUNCTIONING OF THE BOARD

1. Name of the Chairman and Secretary of the Board.

2. List of the Directors and Members of the each Board.

3. 3.1 Cess Received during the Financial year to the each Board.

   3.2 Income Received from Registration etc.

4. Total newly Registered members during the Financial year in the Board.

5. Total members of unorganized workers in the Board.

6. Details of the Welfare Activities during the Financial year done by each Board for Unorganized Workers Member.

S.No.	Name of Scheme	Numbers of Unorganized Member Benefited Workers	Amount
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			

7. Details of other Welfare Activities.

8. Details of other main activities done by each Board.

Secretary
M.P. Rural Unorganized Workers' Welfare Board/
M.P. Urban Unorganized Workers' Welfare Board.

FORM III

APPLICATION FOR REGISTRATION AS MEMBER

1.	Name	
2.	Name of Father/Husband	
3.	Address : (i) Current Address	
	(ii) Permanent Address	
4.	Whether SC/ST	
5.	Date of Birth	
6.	Marital Status	
7.	Name and address of Employers for whom worked in last 12 months	

S. No.	Name and address of employer	Description & Location of establishment where applicant is/was employed	Registration number of establishment	Designation & nature of work performed by the applicant	Date of commencement and conclusion of employment		No. of days for which actually employed	Remarks
					Comm-ence-ment	Conclu-sion		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
						Total :		

8.	ESI/EPF No. (if any)	
	(i) ESI No.	
	(ii) EPF No.	
9.	Manner in which application fee has been paid	
	(i) In cash, at office of the Board (enclose receipt)	
	(ii) D.D. No..... .....date..... drawn on (Branch) of..... (Bank) (Enclose DD)	

165

10.	As per the requirement of Rule 23, the following are enclosed :	
	(1) Proof of age	(Give description of documents enclosed)
	(2) Proof of employment as unorganized worker in the establishments mentioned in S.No. 7.	(Give description of documents enclosed)
	(i)	
	(ii)	
	(iii)	
	(3) Nomination in Form IV	
	(4) Two passport size photographs	

The above facts are true to the best of my knowledge and belief.

I undertake to regularly pay my monthly contribution as member at the rate prescribed by the State Government and in the manner prescribed by the Board.

I request that I may please be registered as Member under Section 14 of the Madhya Pradesh Asangathit Karmkar Kalyan Adhiniyam 2003.

Place:	Signature/Thumb impression of Applicant	
Date :	Signature/Thumb impression of person identifying the Applicant	
	Identifier's Name and Address	

FORM IV

[See Rule 23(c)]

NOMINATION FORM

I hereby nominate the following person/persons as my rightful heir to receive all the dues from Madhya Pradesh Rural Unorganized Workers Welfare Board/Madhya Pradesh Urban Unorganized Workers Welfare Board on my behalf, in the event of my death:-

Sr. No.	Name and address of the nominee(s)	Date of birth of the Nominee	Relationship with Member	In case of minor, name of guardian	Percentage of the dues to be paid to the nominee
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Place:	Signature(Applicant)	
Date:	Name of applicant/member	
	Address :	
	Signature (Witness) :	
	Name of witness :	
	Address of witness :	

FORM V

[See Rule 23(4)]

M.P. Rural Unorganized Workers Welfare Board/
M.P. Urban Unorganized Workers Welfare Board

REGISTER OF MEMBERS

Sr. No.	Name of Member	Father's/ Husband's Name	Male/ Female	Whether SC/ST	Registration No. & Date	Address	
						Permanent	Current
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Date of Birth	Nature of Employment Designation	Nominee	Rate of Contri-bution	Passport size photo-graphs	Date of issue of identity card	Signature of the applicant	Signature of Authorized officer of the Board
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

FORM - VI

[See Rule 23(4)]

M.P. Rural Unorganized Workers Welfare Board/
M.P. Urban Unorganized Workers Welfare Board

Passport size photograph

MEMBER'S IDENTITY CARD

PART-I

GENERAL PARTICULARS

1.	Name of Member	
2.	Father's/Husband's Name	
3.	Male/Female	
4.	Date of Birth	
5.	Address : (1) Current Address	
	(2) Permanent Address	
6.	Details of establishment where employed at the time of registration	
7.	Nature of Job & Designation	
8.	Registration No.	
9.	Date of Registration	
10.	Rate of Monthly Contribution	

Date & Place of Issue
Date :
Place:

Signature & Designation of the Authorized Officer of the Board
(with office seal)

PART - II

DETAILS OF FAMILY MEMBERS & NOMINEES

Date of Nomination :
Details of Family :

Sr. No.	Name of family member	Relationship with member	Date of birth	In case of Minor, name of guardian	Whether nominated as a nominee, and if yes, specified share in benefits	Signature of Authorised officer of the Board
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

PART - III

DETAILS OF EMPLOYMENT

Sr. No.	Description & Location of Establishment where unorganized worker is employed	Name and address of the employer	Designation and Nature of work performed by member	Date of commencement and conclusion of employment		No. of days for which actually employed	Signature of employer or representative
				Comm-ence-mane	Conclu-sion		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

PART - IV

DETAILS OF BENEFITS RECEIVED FROM THE BOARD

Sr. No.	Name of Benefit sanctioned	Date of sanction	Sanctioned amount	Date of payment	If Loan, no. of installments in which to be recovered	Signature of authorized officer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Date & Place of Issue
Date :
Place:

Signature & Designation of the Authorized Officer of the Board
(with office seal)

FORM - VII

[See Rule 23(5)]

APPLICATION FOR AMENDMENT IN IDENTITY CARD

1.	Name of Member	
2.	Name of Fathers/Husbands	
3.	Male/Female	
4.	Date of Birth	
5.	Address : (1) Current Address	
	(2) Permanent Address	
6.	Nature of Job/Employment	
7.	Registration No.	
8.	Details of Board's Office where registered as Member	
9.	Date of Registration	
10.	Details of requested amendment	

Item to be amended	Present Entry	Requested Entry	Whether requested entry is in lieu of, or in addition to present entry?	Reasons for amendment	In case of additional family member, date of addition	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Date :

Signature of Applicant/Member

Place :

FORM - VIII
[See Rule 23(7)]

APPLICATION FOR DUPLICATE IDENTITY CARD

1.	Name of Member	
2.	Name of Fathers/Husbands	
3.	Male/Female	
4.	Address : (1) Current Address	
	(2) Permanent Address	
5.	Whether SC/ST	
6.	Marital Status	(Married/Unmarried/Widow)
7.	Date of Birth	
8.	Name, Address & Registration No. of the establishment where applicant is working	
9.	Name and address of employer	
10.	Nature of Job/Employment	
11.	ESI/EPF No.	
12.	Date since when working for current employer	
13.	Registration No. as member	
14.	Office of Board where registered as member	
15.	Rate of monthly contribution	
16.	Month upto which contribution paid	
17.	Reason for requesting issue of duplicate Identity Card	

The above facts are true to the best of my knowledge and belief.

My original Identity Card is being surrendered herewith.

Two passport size photographs are enclosed (where applicable)

Date :

Signature of Applicant/Member

Place:

FORM NO. IX
[See Rule 24(3)

REGISTER OF APPEALS

Sr. No.	Appeal No.	Name of the applicant	Date of submission of appeal	Details of order appealed against			Mode of payment of fee and amount
				Designation of officer who passed the order	Date of order	Gist of order	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

FORM NO. X
(See Rule 25(1)

REGISTER OF UNORGANIZED WORKERS EMPLOYED BY THE EMPLOYER AND OF MEMBERS AMONG THEM'

1.	Name and address of establishment where unorganized worker is working		3.	Name and permanent address of establishment	
2.	Name of establishment		4.	Name and address of employer	

Sr. No.	Name and surname of workman	Age and sex	Father's / Husband's Name	Nature of employment designation	Permanent Home address of workman (village and Tehsil and Distt.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					

Sr. No.	Local Address	Date of Commencement of Employment	Signature or thumb impression	Date of termination of employment	Reason for termination
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1					
2					
3					
4					

Sr. No.	If the unorganized worker is/was member		If the unorganized worker has ceased to be member		Whether member has authorized employer under section 26(2) to deduct contribution, and, if yes, month & year since when authorized	Remarks
	Registration No.	Date of Registration	Date since when ceased	Reason for cessation		
	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1						
2						
3						
4						

175

FORM NO. XI
(See Rule 31(1)

APPLICATION FOR REGISTRATION OF ESTABLISHMENTS EMPLOYING UNORGANIZED WORKERS

1.	Name and location of the establishment where unorganized workers are employed	
2.	Postal address of the establishment	
3.	Full name and permanent address of the establishment, if any	
4.	Full name and address of the manager or person responsible for the supervision and control of the establishment	
5.	Nature of work in the establishment	
6.	Maximum number of unorganized workers to be employed on any day	
7.	Particulars of Demand Draft	No. ----------Date---------- Drawn on (Bank and Branch) ---------- ----------

Declaration by the employer :

(1) I hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

(2) I undertake to abide by the provisions of the Madhya Pradesh Asangathit Karmakar Kalyan Adiniyam 2003 and the Rules made there under.

PRINCIPAL EMPLOYER
SEAL & STAMP

OFFICE OF THE REGISTERING OFFICER APPOINTED UNDER THE MADHYA PRADESH ASANGATHIT KARMKAR KALYAN ADHINIYAM, 2003

Date of Receipt of Application :

Signature & Seal of Receipt Clerk

FORM NO. XII
(See Rule 32(1)

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
OFFICE OF THE REGISTERING OFFICER

Certificate of Registration is hereby granted under Sub-Section (1) of Section 22 of the Madhya Pradesh Asangathit Karmakar Kalyan Adhiniyam, 2003 and the Rules made there under to the following establishment, subject to the conditions laid down in the Annexure:-

1.	Name of the establishment	
2.	Postal address location of the establishment	
3.	Name and address of the employer	
4.	Nature of work in the establishment	
5.	Maximum number of unorganized worker to be employed on any day by the employer	
6.	Probable date of commencement and completion of work	
7.	Other particulars relevant to the employment of unorganized workers	

Signature of the Registering Officer with seal

The registration granted herein above in subject to the following conditions: -

(a) The Certificate of Registration shall be non-transferable;

(b) The number of workmen employed or unorganized workers in the establishment shall not, on any day, exceed the maximum number specified in the Certificate of Registration;

(c) Save as provided in these Rules, the fees paid for the grant of Registration Certificate shall be non-refundable;

(d) The rates of wages payable to unorganized workers by the employer shall not be less than the rates prescribed under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) for such employment where applicable and where the rates have been fixed by agreement, settlement or award, not less than the rates so fixed; and

(e) The employer shall comply with the provisions of the Act and the Rules made there under.

FORM NO. XIII
(See Rule 32(2)

REGISTER OF ESTABLISHMENTS

Sr. No.	Registration No. and Date	Name and Address of the establishment where unorganized worker is employed	Name of the employer and his address	Nature of work	Name and permanent address of Establishment	Maximum number of unorganized worker to be employed on any day	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

By order and in the name of
Governor of Madhya Pradesh

(Neeraj Dubey)
Deputy Secretary, Govt. Of M.P.
Labour Department

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र. बि.पू.भु./04 भोपाल-03-05.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. 108-भोपाल/03-05.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 304] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 जुलाई 2004—आषाढ़ 25, शक 1926

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2004

क्र. 2835-207-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 8 जुलाई 2004 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. पी. भेमा, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ९ सन् २००४

मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, २००३.

विषय-सूची

धाराएं :

अध्याय—१
प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

२. परिभाषाएं.

अध्याय—२
ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के असंगठित कर्मकारों के लिए कल्याण बोर्ड

३. ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के असंगठित कर्मकारों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन.

४. बोर्ड का सचिव और अन्य अधिकारी.

५. बोर्ड का सम्मिलन.

६. रिक्तियों आदि से बोर्ड की कार्रवाइयां अविधिमान्य नहीं होंगी.

७. बोर्डों की अधिकारिता और कृत्य.

८. कल्याण निधि का गठन और उसका उपयोजन.

९. उपनिधियों को सृजित और विलीन करने की शक्ति.

१०. बजट.

११. वार्षिक रिपोर्ट.

१२. लेखा और संपरीक्षा.

अध्याय—३
कल्याण निधि के सदस्य के रूप में असंगठित कर्मकारों का रजिस्ट्रीकरण

१३. निधि का सदस्य.

१४. सदस्य के रूप में असंगठित कर्मकार का रजिस्ट्रीकरण.

१५. परिचय-पत्र.

१६. सदस्यता समाप्ति.

१७. सदस्यों का रजिस्टर.

१८. सदस्य द्वारा अभिदाय.

१९. अभिदाय के असंदाय का प्रभाव.

अध्याय—४

नियोजनों के कतिपय प्रवर्गों द्वारा अभिदाय का संदाय

२०. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति.

२१. स्थापना के रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा करने की शक्ति.

२२. स्थापना का रजिस्ट्रीकरण.

२३. कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण.

२४. अपील.

२५. अरजिस्ट्रीकरण का प्रभाव.

२६. नियोजकों द्वारा अभिदाय.

अध्याय—५

निरीक्षण

२७. निरीक्षकों की नियुक्ति.

२८. निरीक्षक की शक्तियां.

अध्याय—६

असंगठित कर्मकारों के कल्याण के लिए उपकर आदि

२९. संपत्ति के अंतरण पर अतिरिक्त शुल्क.

३०. कतिपय प्रवर्गों के मोटरयानों पर अतिरिक्त कर.

३१. वन उत्पाद के विक्रय या प्रदाय पर कल्याण उपकर.

३२. कतिपय गौण खनिजों पर रायल्टी और अनिवार्य भाटक के संबंध में उपबंध.

३३. धारा २९ से ३१ के अधीन उद्ग्रहीत रकम के संग्रहण की प्रक्रिया तथा धारा ३२ के अधीन रकम को पृथक् रखने तथा धारा ८ के अधीन गठित निधि में उन्हें जमा करने के लिए प्रक्रिया.

३४. अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय पर कल्याण उपकर.

अध्याय—७

शास्ति तथा प्रक्रिया

३५. बाधा डालने के लिए शास्ति.

३६. अन्य अपराधों के लिए शास्ति.

३७. अपील.

३८. जुर्माने की वसूली.

३९. कंपनियों द्वारा अपराध.

४०. अपराधों का संज्ञान.

४१. अभियोजन की परिसीमा.

अध्याय—८

प्रकीर्ण

४२. छूट देने की शक्ति.

४३. अनुसूची का संशोधन.

४४. अभिकर्ताओं को नियुक्त करने की बोर्ड की शक्ति.

४५. शक्तियों का प्रत्यायोजन.

४६. जिला योजना समिति द्वारा जिले में अधिनियम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण किया जाना.

४७. विवरणियां.

४८. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.

४९. निदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति.

५०. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

५१. नियम बनाने की शक्ति.

५२. विनियम बनाने की शक्ति.

५३. बोर्ड द्वारा स्कीमों का तैयार किया जाना.

५४. कतिपय विधियों की व्यावृत्ति.

अनुसूची.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ९ सन् २००४

मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, २००३.

[दिनांक ८ जुलाई, २००४ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १६ जुलाई, २००४ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के असंगठित कर्मकारों के लिए कल्याण बोर्ड और कल्याण निधि का गठन करने और उससे संसक्त या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौवनवे वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय—१
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, २००३ है.

(२) इसका विस्तार अनुसूची में विनिर्दिष्ट नियोजनों पर है.

(३) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे, और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए, भिन्न-भिन्न नियोजनों के लिए तथा इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्रसुविधा" से अभिप्रेत है ऐसी प्रसुविधा जो धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन दी जाए;

(ख) "बोर्ड" से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन गठित बोर्ड;

(ग) "ठेकेदार" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो किसी स्थापना के लिए, माल के प्रदाय मात्र अथवा विनिर्माण की वस्तुओं से भिन्न, परिणाम देने हेतु उत्पादन करने के लिए असंगठित कर्मकारों को लगा कर उसका जिम्मा लेता है अथवा जो स्थापना में किसी कार्य के लिए ऐसे कर्मकारों की पूर्ति करता है और इसमें उप-ठेकेदार तथा अभिकर्ता सम्मिलित हैं;

(घ) किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से लगाए गए किसी असंगठित कर्मकार के संबंध में "नियोजक" से अभिप्रेत है प्रमुख नियोजक और किसी अन्य असंगठित कर्मकार के संबंध में ऐसा व्यक्ति जो स्थापना के क्रियाकलापों पर अंतिम नियंत्रण रखता हो और इसमें ऐसा कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है जिसे ऐसी स्थापना के क्रियाकलाप सौंपे जाते हों चाहे ऐसा व्यक्ति अभिकर्ता, प्रबंधक या अनुसूचित नियोजन में प्रचलित किसी अन्य नाम से जाना जाता हो;

(ङ) "स्थापना" से अभिप्रेत है कोई स्थान या परिसर जिसमें उसकी ऐसी प्रसीमा भी सम्मिलित है, जिसमें या जिसके किसी भाग में सामान्यत: कोई अनुसूचित नियोजन चलाया जा रहा है या चलाया जाता है;

(च) किसी नियोजक के संबंध में "परिवार" से अभिप्रेत है ऐसे नियोजक के पति-पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहन जो उसके साथ रहता है और उस पर पूर्णत: आश्रित है;

(छ) "निधि" से अभिप्रेत है धारा ८ के अधीन गठित कल्याण निधि;

(ज) "निरीक्षक" से अभिप्रेत है धारा २७ के अधीन नियुक्त निरीक्षक;

(झ) "श्रम आयुक्त" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९६० (क्रमांक २७ सन् १९६०) की धारा ३ के अधीन राज्य सरकार द्वारा राज्य के लिए नियुक्त किया गया श्रम आयुक्त;

(ञ) इस अधिनियम के अधीन गठित की गई कल्याण निधि के संबंध में "सदस्य" से अभिप्रेत है धारा १४ के अधीन एक सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत असंगठित कर्मकार;

(ट) "यथास्थिति किसी ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र का सामान्यत: निवासी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो पूर्वतर बारह मास के अधिकांश समय में ऐसे क्षेत्र में निवास कर चुका है, तथा उसका इसी प्रकार अगले बारह मास तक बने रहना प्रत्याशित हो;

(ठ) "प्रमुख नियोजक" से अभिप्रेत है ऐसा नियोजक जो किसी अनुसूचित नियोजन में किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से असंगठित कर्मकारों को नियोजित करता हो;

(ड) "ग्रामीण क्षेत्र" से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र जो नगरीय क्षेत्र न हो;

(ढ) "अनुसूचित नियोजन" से अभिप्रेत है अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई नियोजन और उसमें सम्मिलित है, ऐसे नियोजन का भाग बनने वाले कार्य की कोई प्रक्रिया या शाखा;

(ण) "स्कीम" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीम;

(त) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;

(थ) "कानूनी कल्याण निधि" से अभिप्रेत है इस अधिनियम से भिन्न किसी राज्य या केन्द्रीय विधान के अधीन कर्मकारों के कल्याण के लिए स्थापित और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी की गई अधिसूचना द्वारा घोषित की गई "कानूनी कल्याण निधि";

(द) "असंगठित कर्मकार" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो प्रत्यक्षत: या किसी एजेंसी या ठेकेदार के माध्यम से एक या अधिक अनुसूचित नियोजन/नियोजनों में लगा हुआ है, चाहे मजदूरी के लिए हो या बिना मजदूरी के लिए या जो ऐसे अनुसूचित नियोजन/नियोजनों में स्वयं या उसकी मर्जी से केवल परिवार श्रम के साथ कार्य के किसी ऐसे स्थान में कार्य करता है/करती है जिसमें उसका घर, खेत या कोई सार्वजनिक स्थान सम्मिलित है जो कि अन्य के नियंत्रणाधीन हो या न हो तथा इसमें सम्मिलित हैं:—

(एक) ऐसा व्यक्ति जो गृह आधारित कर्मकार या आकस्मिक अथवा संविदा कर्मकार या स्व-नियोजित कर्मकार है; और

(दो) ऐसा व्यक्ति जिसे किसी नियोजक या ठेकेदार द्वारा कच्चा माल उसे परिवर्तित करने या कोई उत्पाद बनाने या किसी कार्य के लिए दिया जाता हो या फेरी लगाकर या गली में बेचने के लिए तैयार माल दिया जाता है या चल या घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराने के लिए यान, औजार या मशीनरी प्रदान की जाती हो,

किन्तु इसमें किसी नियोजक के परिवार का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं है;

(ध) "नगरीय क्षेत्र" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद २४३-थ के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा "वृहत्तर नगरीय क्षेत्र" और "लघुत्तर नगरीय क्षेत्र" के रूप में अधिसूचित क्षेत्र;

(न) "मजदूरी" का वही अर्थ होगा जो मजदूरी भुगतान अधिनियम, १९३६ (१९३६ का सं. ४) की धारा २ के खण्ड (छह) में उसके लिए दिया गया है.

अध्याय—२

ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के असंगठित कर्मकारों के लिए कल्याण बोर्ड.

ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के असंगठित कर्मकारों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन.

३. (१) राज्य सरकार, ऐसी तारीख से, जो कि अधिसूचना द्वारा नियत की जाए, मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड और मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड के नाम से बोर्ड का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेंगे :

परन्तु प्रत्येक बोर्ड के गठन के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

(२) उपधारा (१) के अधीन गठित प्रत्येक बोर्ड पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा जिसकी सामान्य मुद्रा होगी और जो उक्त नाम से वाद चलायेगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा.

(३) प्रत्येक बोर्ड एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और पंद्रह से अनधिक उतनी संख्या में अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जो राज्य सरकार द्वारा इसके लिए नियुक्त किए जाएं:

परन्तु बोर्ड में राज्य सरकार, नियोजकों और असंगठित कर्मकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे सदस्यों की एक समान संख्या सम्मिलित होगी और असंगठित कर्मकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे लगभग एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी.

(४) बोर्ड के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें तथा उनको देय वेतन और अन्य भत्ते तथा बोर्ड के सदस्यों की आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाए.

बोर्ड का सचिव और अन्य अधिकारी.

४. (१) धारा ३ के अधीन गठित किया गया प्रत्येक बोर्ड एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी तथा कर्मचारियों को नियुक्त करेगा जितने कि वह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे :

परन्तु बोर्ड का सचिव, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा:

परन्तु यह और कि एक ही व्यक्ति को दोनों बोर्डों का सचिव नियुक्त किया जा सकेगा.

(२) बोर्ड का सचिव इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा.

(३) बोर्ड के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें तथा उनको देय वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जैसा कि बोर्ड विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे.

बोर्ड का सम्मिलन.

५. (१) बोर्ड, ऐसे समय और स्थान पर सम्मिलन करेगा और उसके सम्मिलन में (ऐसे सम्मिलन में गणपूर्ति भी सम्मिलित है) कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जैसा कि विहित किया जाए.

(२) अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या यदि वह किसी कारण से बोर्ड के सम्मिलन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो इस संबंध में अध्यक्ष (चेयरपर्सन) द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया गया कोई सदस्य और ऐसे नामनिर्देशन की अनुपस्थिति में, सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से निर्वाचित कोई अन्य सदस्य, सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा.

(३) समस्त प्रश्न जो बोर्ड के किसी सम्मिलन के समक्ष आते हों, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और मतों के बराबर रहने की दशा में अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या उसकी अनुपस्थि में, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा.

रिक्तियों आदि से बोर्ड की कार्रवाइयां अविधिमान्य नहीं होंगी.

६. बोर्ड का कोई कार्य या कार्रवाइयां,—

(क) बोर्ड में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि; या

(ख) बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की नियुक्ति में किसी त्रुटि; या

(ग) बोर्ड की प्रक्रिया में किसी अनियमितता जिससे मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं पड़ता हो,

के कारण अविधिमान्य नहीं होगा/होगी.

बोर्डों की अधिकारिता और कृत्य.

७. (१) मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड और मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिकारिता का विस्तार उन असंगठित कर्मकारों पर होगा जो सामान्यतया राज्य के क्रमशः ग्रामीण औ रीय क्षेत्रों में निवास करते हैं.

(२) उपधारा (१) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए बोर्ड, धारा १३ के अधीन हकदार सदस्यों को निम्नलिखित में से समस्त या कोई प्रसुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा, अर्थात्:—

(क) दुर्घटना की दशा में किसी सदस्य को तुरन्त सहायता;

(ख) उन सदस्यों को पेंशन जो ६० वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों;

(ग) गृह निर्माण के लिए सदस्य को ऋण और अग्रिम;

(घ) सदस्यों के समूह बीमा के लिए प्रीमियम का भुगतान;

(ङ) बच्चों की शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता;

(च) किसी सदस्य या उसके ऐसे आश्रित को जिसे विहित किया जाए, की गंभीर बीमारी के उपचार के लिए सहायता;

(छ) महिला सदस्यों को प्रसूति प्रसुविधा; और

(ज) ऐसी अन्य प्रसुविधाएं जिन्हें विहित किया जाए.

(३) किसी प्रसुविधा को प्रदान करने की पात्रता का मानदण्ड, वह पैमाना जिस पर यह दी जा सकेगी, आवेदन करने और मंजूर करने की प्रक्रिया तथा प्रसुविधा प्रदान करने से संसक्त अन्य आनुषंगिक विषय ऐसे होंगे जैसा कि बोर्ड इस निमित्त बनाई स्कीम द्वारा उपबंधित करे.

(४) बोर्ड किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी नियोजक को किसी स्थापना में असंगठित कर्मकारों के कल्याण से संसक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम के लिए ऋण या सहायता प्रदान कर सकेगा.

(५) बोर्ड, किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकरण या किसी ऐसे नियोजक को वार्षिक सहायता अनुदान संदत्त कर सकेगा

जो असंगठित कर्मकारों और उनके परिवार के सदस्यों की प्रसुविधा के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट स्तर के कल्याण उपाय और सुविधाएं, बोर्ड के समाधानप्रद रूप में उपलब्ध कराता हो, तथापि किसी स्थानीय प्राधिकरण या नियोजक को सहायता अनुदान के रूप में देय रकम,—

(क) राज्य सरकार या इस संबंध में उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा यथाअवधारित कल्याण उपाय और सुविधाएं उपलब्ध कराने में खर्च की गई रकम; या

(ख) ऐसी रकम जो विहित की जाए,

इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी :

परन्तु कोई भी सहायता अनुदान किसी ऐसे कल्याण उपायों और सुविधाओं के संबंध में देय नहीं होगा जहां यथा पूर्वोक्त अवधारित उस पर खर्च की गई रकम इस निमित्त विहित की गई रकम से कम है.

कल्याण निधि का गठन और उसका उपयोजन.

(८) (१) राज्य सरकार द्वारा धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड और मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड गठित करने के लिए नियत की गई तारीख से क्रमशः मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण निधि और मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण निधि के नाम से ज्ञात निधियों का गठन किया जाएगा.

(२) मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण निधि, मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड में निहित होगी और उसके द्वारा प्रशासित की जाएगी जबकि मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण निधि, मध्यप्रदेश असंगठित नगरीय कर्मकार कल्याण बोर्ड में निहित होगी और उसके द्वारा प्रशासित की जाएगी.

(३) निधि में,—

(क) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा संबंधित बोर्ड को दिए गए अनुदान और ऋण;

(ख) निधि के सदस्यों से प्राप्त अभिदाय;

(ग) धारा २६ के अधीन नियोजकों से प्राप्त अभिदाय;

(घ) धारा ३३ और ३४ के उपबंधों के अनुसार निधि में देय समस्त धन,

जमा किए जाएंगे.

(४) निधि को,—

(क) धारा ७ के अधीन बोर्ड के कृत्यों के निर्वहन में उसके व्ययों;

(ख) बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक; और

(ग) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों पर व्ययों,

के लिए उपयोजित किया जाएगा.

(५) बोर्ड किसी वित्तीय वर्ष में अपने सदस्यों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों तथा अन्य पारिश्रमिक के मद्दे तथा अन्य प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति के लिए किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कुल व्ययों के पंद्रह प्रतिशत से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगा.

उपनिधियों को सृजित और वित्तीय करने की शक्ति.

९. (१) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, कल्याण बोर्ड की सलाह पर अथवा अन्यथा आदेश में विनिर्दिष्ट किए गए नाम से उपनिधि सृजित कर सकेगी और निदेश दे सकेगी कि आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख को निधि में जमा धन एक या अधिक उपनिधियों में जमा कर दिया जाए.

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट आदेश में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होंगे,—

(एक) वह क्षेत्र और/या अनुसूचित नियोजन जिसके लिए उपनिधि सृजित की जाना है;

(दो) वह सीमा जिस तक और वह रीति जिसमें आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख को निधि में जमा धन, और भावी प्रोद्भवन उपनिधि में जमा की जाना है;

(तीन) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से अनअसंगत वह मेकेनिज्म यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपनिधि में जमा किया गया धन खण्ड (एक) में निर्दिष्ट क्षेत्रों और/या अनुसूचित नियोजन के निधि के सदस्यों के कल्याण के लिए उपयोजित किया जाए; और

(चार) उपनिधि के सृजन से आनुषंगिक कोई अन्य मामले :

परन्तु खण्ड (तीन) में निर्दिष्ट मेकेनिज्म में ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए बोर्ड की उप समिति का गठन भी समाविष्ट हो सकेगा :

परन्तु यह और कि ऐसी उप-समिति में सहयोजित सदस्य सम्मिलित होंगे, जो कि बोर्ड के सदस्य न हों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति में नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा जैसी कि विहित की जाए :

परन्तु यह भी कि सहयोजित सदस्यों को उप-समिति के सम्मिलन में जिसके लिए उन्हें नामनिर्दिष्ट किया गया हो भाग लेने का अधिकार होगा. परन्तु उन्हें सम्मिलन में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा.

(३) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, बोर्ड की सलाह पर अथवा अन्यथा निदेश दे सकेगी कि:—

(एक) उपधारा (१) के अधीन सृजित की गई किसी उपनिधि को दो या अधिक उपनिधियों में और विभाजित किया जाए;

(दो) उपधारा (१) के अधीन और/अथवा पूर्वोक्त खण्ड (एक) के अधीन सृजित की गई एक या अधिक उपनिधियों का उस निधि में विलय किया जाए जिसमें से उसे सृजित किया गया था;

(तीन) उपधारा (१) के अधीन और/अथवा पूर्वोक्त खण्ड (एक) के अधीन सृजित की गई दो या अधिक उपनिधियां एकल उपनिधि में विलय की जाएं.

(४) उपधारा (३) के अधीन पारित किए गए आदेश में उपधारा (२) के खण्ड (एक), (दो), (तीन), और (चार) में उल्लिखित बिन्दुओं पर उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित अंतर्विष्ट रहेंगे.

(५) बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह इस धारा के अधीन पारित किए गए प्रत्येक आदेश को प्रभावशील करे.

बजट.

१०. बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जैसा कि विहित किया जाए, बोर्ड की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्ययों को दर्शित करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए उसका बजट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा.

वार्षिक रिपोर्ट.

११. बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जैसा कि विहित किया जाए, पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का एक पूर्ण लेखा देते हुए उसकी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा.

लेखा और संपरीक्षा.

१२. (१) बोर्ड, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख संधारित करेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जैसा कि विहित किया जाए.

(२) बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, द्वारा मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४३ सन् १९७३) के उपबंधों के अनुसार की जाएगी और उक्त अधिनियम के उपबंध बोर्ड पर इस प्रकार लागू होंगे मानो कि यह एक स्थानीय निकाय है.

(३) बोर्ड, राज्य सरकार को संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ उसके लेखाओं की संपरीक्षित प्रति, ऐसी तारीख के पूर्व प्रस्तुत करेगा जैसी कि विहित की जाए.

(४) राज्य सरकार, वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षक की रिपोर्ट, उनके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखवाएगी.

अध्याय—३

कल्याण निधि के सदस्य के रूप में असंगठित कर्मकारों का रजिस्ट्रीकरण

निधि का सदस्य.

१३. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक असंगठित कर्मकार, बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रशासित निधि से उपबंधित प्रसुविधाओं के लिए हकदार होगा.

सदस्य के रूप में असंगठित कर्मकार का रजिस्ट्रीकरण.

१४. (१) प्रत्येक असंगठित कर्मकार जिसने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, किन्तु साठ वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है और जो किसी अन्य कानूनी कल्याण निधि के अधीन प्रसविधा प्राप्त करने का पात्र नहीं है, इस अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होगा :

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित एक या अधिक मानदंड विहित कर सकेगी जिसकी पूर्ति न होने पर असंगठित कर्मकार सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु अपात्र हो जायेगा:—

(एक) भूमि के खाते का अधिकतम आकार,

(दो) परिवार की अधिकतम आय :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार राज्य में भिन्न-भिन्न प्रवर्गों की या भिन्न-भिन्न भागों में स्थित भूमियों के लिए भूमि के खाते के भिन्न-भिन्न अधिकतम आकार विनिर्दिष्ट कर सकेगी.

(२) सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्र के निवासी असंगठित कर्मकार धारा ८ के अधीन गठित मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण निधि के सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होंगे, जबकि नगरीय क्षेत्र में सामान्यत: निवास करने वाले असंगठित कर्मकार मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण निधि के सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होंगे :

परन्तु कोई भी कर्मकार एक साथ दोनों निधियों के सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र नहीं होगा.

(३) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए तथा ऐसे अधिकारी को किया जाएगा जिसे कि इस संबंध में संबंधित बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाए.

(४) उपधारा (३) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसे दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे तथा उसके साथ पचास रुपए से अनधिक की ऐसी फीस दी जाएगी जो विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए.

(५) यदि उपधारा (३) के अधीन संबंधित बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का समाधान हो जाता है कि आवेदक ने इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन कर दिया है तो वह इस अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में कर्मकार का नाम रजिस्ट्रीकृत करेगा :

परन्तु रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना नामंजूर नहीं किया जाएगा.

(६) उपधारा (५) के अधीन विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के भीतर संबंधित बोर्ड के सचिव या इस निमित्त बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को अपील कर सकेगा तथा ऐसी अपील पर सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु सचिव या इस निमित्त बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी तीस दिन की उक्त कालावधि का अवसान होने पर अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति समय पर अपील फाइल करने से समुचित कारण से निवारित था.

(७) बोर्ड का सचिव ऐसे रजिस्टर संधारित करवाएगा जैसा कि विहित किए जाएं.

परिचय-पत्र. १५. संबंधित बोर्ड, प्रत्येक सदस्य को एक परिचय-पत्र, जिस पर उसका छायाचित्र (फोटोग्राफ) चिपका हो, देगा तथा जिसमें उसके द्वारा अनुसूचित नियोजन में किए गए कार्य के ब्यौरों की प्रविष्टि करने के लिए पर्याप्त स्थान होगा.

सदस्यता समाप्ति. १६. (१) ऐसा असंगठित कर्मकार, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है, की सदस्यता,—

(एक) धारा १९ के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप; या

(दो) जब वह,—

(क) साठ वर्ष की आयु पूरी कर लेता है; या

(ख) किसी अन्य कानूनी कल्याण निधि के अधीन सदस्य के रूप में, परिचय पत्रधारक के रूप में या हिताधिकारी आदि के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो जाता है जो ऐसी निधि से प्रसुविधा प्राप्त करने की उसे पात्रता प्रदान करता है,

समाप्त हो जाएगी.

(२) उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति साठ वर्ष की आयु पूर्ण करने के ठीक पूर्व लगातार विगत तीन वर्ष तक सदस्य रहा है तो वह ऐसी प्रसुविधा प्राप्त करने का पात्र होगा जैसी कि विहित की जाए.

सदस्यों का रजिस्टर. १७. किसी स्थापना के संबंध में प्रत्येक नियोजक जिसको इस अधिनियम की धारा २१ के अधीन यह अधिनियम लागू होता है, एक रजिस्टर ऐसे प्ररूप में जैसा कि विहित किया जाए, संधारित करेगा जिसमें उसके द्वारा नियोजित सदस्यों के नियोजन के ब्यौरे दर्शाए जाएंगे. इस प्रकार संधारित रजिस्टर का संबंधित बोर्ड के सचिव द्वारा या इस निमित्त बोर्ड द्वारा सम्यक् रूपेण प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के निरीक्षण किया जा सकेगा.

१८. ऐसा असंगठित कर्मकार जो इस अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है जब तक कि वह साठ वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता है तब तक ऐसी दर पर जैसी कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, निधि में अभिदाय करेगा तथा भिन्न-भिन्न वर्गों के असंगठित कर्मकारों के लिए अभिदाय की भिन्न-भिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी : सदस्य द्वारा अभिदाय.

परन्तु अभिदाय की दरें सामान्यतया प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार पुनरीक्षित की जाएंगी.

१९. जहां किसी सदस्य ने धारा ८ के अधीन उस तारीख के पश्चात् जब अभिदाय शोध्य हो गया हो, लगातार एक वर्ष से अन्यून की कालावधि तक अपना अभिदाय संदत्त नहीं किया है तो वह सदस्य नहीं रह जाएगा: अभिदाय के असंदाय का प्रभाव.

परन्तु यदि बोर्ड के सचिव का यह समाधान हो जाता है कि अभिदाय का असंदाय युक्तियुक्त हेतुक से था तथा असंगठित कर्मकार बकाया जमा करने का इच्छुक है तो वह ऐसे कर्मकार को अभिदाय का बकाया जमा करने की अनुज्ञा दे सकेगा तथा बकाया के जमा कर दिए जाने पर, कर्मकार का रजिस्ट्रीकरण पुनःस्थापित हो जाएगा.

अध्याय—४
नियोजकों के कतिपय प्रवर्गों द्वारा अभिदाय का संदाय

२०. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा,— रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति.

(क) ऐसे व्यक्तियों को जो सरकार या स्थानीय निकाय के अधिकारी हों और जिन्हें वह उचित समझे, इस अधिनियम की धारा २२ के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त कर सकेगी; और

(ख) ऐसी सीमा परिनिश्चित कर सकेगी जिसके भीतर कोई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा.

२१. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसे मानदंड तथा शर्तें, जैसा कि अधिसूचना में नियत की जाएं, की पूर्ति करने वाली प्रत्येक स्थापना इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराएगी तथा तब यह अधिनियम प्रत्येक ऐसी स्थापना को लागू हुआ माना जाएगा. स्थापना के रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा करने की शक्ति.

२२. (१) प्रत्येक नियोजक,— स्थापना का रजिस्ट्रीकरण.

(क) ऐसी स्थापना के संबंध में जिसको यह अधिनियम धारा २१ के अधीन कोई अधिसूचना जारी होने पर लागू होता है; और

(ख) किसी अन्य स्थापना के संबंध में, जिसको यह अधिनियम ऐसी अधिसूचना जारी होने के पश्चात् किसी समय लागू हो सकेगा,

उस तारीख से जिसको यह अधिनियम ऐसे स्थापना के लिए लागू होता है, साठ दिन की कालावधि के भीतर ऐसी स्थापना के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन करेगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पूर्वोक्त कालावधि का अवसान होने के पश्चात् कोई ऐसा आवेदन ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक समुचित कारण से ऐसी कालावधि के भीतर आवेदन करने से निवारित था.

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा, उसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी तथा वह ऐसी फीस के साथ होगा जैसी कि विहित की जाएं.

(३) उपधारा (१) के अधीन ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसी स्थापना को रजिस्ट्रीकृत करेगा तथा नियोजक को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि विहित की जाएं रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा.

(४) जहां इस धारा के अधीन किसी स्थापना के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् ऐसी स्थापना के संबंध में उसके स्वामित्व या प्रबंधन या अन्य विहित विशिष्टियों में कोई परिवर्तन होता है, तो नियोजक द्वारा ऐसे परिवर्तन संबंधी विशिष्टियों की सूचना रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ऐसे परिवर्तन की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे प्ररूप में दी जाएगी जैसा कि विहित किया जाए.

कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण.

२३. यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का इस निमित उसको किए गए किसी निर्देश पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि किसी स्थापना का रजिस्ट्रीकरण किसी सारवान तथ्य के दुर्व्यपदेशन से या छिपाने से अभिप्राप्त किया गया है या ऐसी स्थापना द्वारा किए गए किसी संकर्म के संबंध में इस अधिनियम के उपबंध का अनुपालन नहीं किया गया है या यह कि किसी अन्य कारण से रजिस्ट्रीकरण अनुपयोगी या प्रभावहीन हो गया है तथा उसे प्रतिसंहृत किया जाना अपेक्षित है, तो वह स्थापना के नियोजक को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रतिसंहृत कर सकेगा.

अपील.

२४. (१) धारा २३ के अधीन किए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से जिसको उसे आदेश संसूचित किया है, तीस दिन के भीतर अपील अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकेगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट व्यक्ति होगा:

परन्तु अपील अधिकारी तीस दिन की उक्त कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से समय पर अपील फाइल करने से निवारित था.

(२) उपधारा (१) के अधीन अपील प्राप्त होने पर, अपील अधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्रतिसंहरण के आदेश की यथासंभव शीघ्रता के साथ पुष्टि कर सकेगा, उसे उपांतरित कर सकेगा या उलट सकेगा.

अरजिस्ट्रीकरण का प्रभाव.

२५. ऐसी स्थापना का जिसको धारा २१ के अधीन यह अधिनियम लागू होता है नियोजक,—

(क) धारा २१ के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित ऐसी स्थापना की दशा में, किन्तु जो उस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई है;

(ख) ऐसी स्थापना की दशा में जिसके संबंध में रजिस्ट्रीकरण धारा २३ के अधीन प्रतिसंहृत किया गया है तथा धारा २४ के अधीन ऐसी अपील को प्रस्तुत करने के लिए विहित कालावधि के भीतर ऐसे प्रतिसंहरण के आदेश के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई जहां ऐसी अपील इस प्रकार प्रस्तुत की गई है, ऐसी अपील खारिज कर दी गई है,

यथास्थिति धारा २२ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् या धारा २३ के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण होने के पश्चात् या धारा २४ के अधीन अपील प्रस्तुत करने की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् या अपील के खारिज होने के पश्चात् स्थापना में असंगठित कर्मकार नियोजित नहीं करेगा.

नियोजकों द्वारा अभिदाय.

२६. (१) प्रत्येक नियोजक, जिसकी स्थापना का रजिस्ट्रीकरण धारा २१ के अधीन अपेक्षित है, प्रत्येक मास की १५ तारीख के पूर्व उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट बोर्ड को, उसके द्वारा पूर्व मास के दौरान असंगठित कर्मकारों को देय

मजदूरी की पांच प्रतिशत से अनधिक ऐसे प्रतिशतता के समतुल्य राशि जैसी कि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, देगा.

(२) कोई नियोजक उपधारा (१) के अधीन अपना अभिदाय मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड या मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड को संदत्त करेगा जो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसकी स्थापना कहां अवस्थित है, नगरीय क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में.

(३) उपधारा (१) के अधीन संदेय अभिदाय, सचिव या बोर्ड के ऐसे अन्य अधिकारी जिसे बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा संदत्त किया जाएगा जिसके साथ ऐसे प्ररूप में जैसा कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरण पत्र संलग्न किया जाएगा.

(४) उपधारा (१) के अधीन संदेय अभिदाय के परिणामस्वरूप, नियोजक द्वारा असंगठित कर्मकार को संदेय मजदूरी में से कोई कटौती नहीं की जाएगी.

(५) यदि बोर्ड की यह राय है कि इस अधिनियम के अधीन उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट तारीख को नियोजक द्वारा देय किसी राशि का संदाय नहीं किया गया है तो वह एक मांग नोटिस ऐसे प्ररूप में जैसा कि विहित किया जाए, जारी करेगा जिसमें नियोजक से अपेक्षा की जाएगी कि वह एक मास के भीतर राशि जमा करे या यह कारण बताए कि क्यों न इसे उससे भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल कर ली जाए.

(६) यदि उपधारा (५) के अधीन जारी नोटिस के अनुसरण में कोई नियोजक नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रकम जमा करने में और साथ ही बोर्ड के समाधानप्रद रूप में कारण बताने में असफल रहता है तो बोर्ड, संबंधित जिले के कलक्टर को एक प्रमाण-पत्र उसमें कथित रकम की वसूली भू-राजस्व की बकाया की तौर पर करने हेतु जारी कर सकेगा और तदुपरि कलक्टर उस रकम की भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली करने के लिए अग्रसर होगा और रकम को बोर्ड को विप्रेषित कर देगा:

परन्तु यदि नियोजक उपधारा (५) के अधीन जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में कारण बताते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत कर देता है तो ऐसे अभ्यावेदन पर विचार करने, ऐसी जांच जैसी कि आवश्यक समझी जाए, करने और अभ्यावेदन रद्द करने के कारण देते हुए विस्तृत आदेश पारित करने के बाद ही उपर्युक्तानुसार प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा.

(७) उपधारा (५) और (६) के अधीन बोर्ड की शक्तियों का उसके सचिव द्वारा, और ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा जो कि बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए जाएं, प्रयोग किया जाएगा.

अध्याय-५

निरीक्षण

निरीक्षकों की नियुक्ति.

२७. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अपने ऐसे अधिकारियों, बोर्ड के अधिकारियों, और धारा ४४ के अधीन नियुक्त किए गए उसके (बोर्ड के) अभिकर्ताओं के ऐसे अधिकारियों को, जैसा वह उचित समझे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकेगी और उन्हें ऐसी स्थानीय सीमाएं समनुदेशित कर सकेगी जैसी कि वह उचित समझे.

(२) इस धारा के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक निरीक्षक श्रम आयुक्त के नियंत्रण के अध्यधीन होगा और वह श्रम आयुक्त के साधारण नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन रहते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा और अपने कृत्यों का पालन करेगा.

(३) इस धारा के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक निरीक्षक, भारतीय दंड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) की धारा २१ के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा.

निरीक्षक की शक्तियां.

२८. (१) इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कोई निरीक्षक, उन स्थानीय सीमाओं के भीतर जिनके लिए उसे नियुक्त किया गया है तथा अध्याय-४ के उपबंधों को प्रवर्तित करने की दृष्टि से,—

(क) समस्त युक्तियुक्त समयों पर, अपने ऐसे सहायकों (यदि कोई हों), के साथ जो कि सरकारी या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकारी की सेवा के व्यक्ति हों, किन्हीं परिसरों या स्थान में जहां असंगठित कर्मकार नियोजित हैं या जहां से उन्हें (कर्मकारों को) कार्य दिया जाता है, किसी रजिस्टर या अभिलेख या नोटिस के जिनका वहां रखा जाना या प्रदर्शित किया जाना इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के द्वारा या उनके अधीन अपेक्षित है, परीक्षण के प्रयोजन के लिए प्रवेश कर सकेगा या उनकी तलाशी ले सकेगा;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति का परीक्षण कर सकेगा जो उस परिसर या स्थान में पाया जाए, और जिसके बारे में उसमें नियोजित असंगठित कर्मकार के होने का विश्वास करने के लिए उसके पास युक्तियुक्त कारण है या वहां उसे कार्य दिया जाता है;

(ग) असंगठित कर्मकार को काम देने वाले व्यक्ति से, कोई सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा जिसका दिया जाना उसकी शक्ति के अधीन है और जो उन व्यक्तियों के नाम और पते से संबंधित है जिनके लिए कार्य दिया जाता है या जिनसे कार्य लिया जाता है और उक्त कार्य के लिए भुगतान किया जाता है;

(घ) ऐसे रजिस्टर, मजदूरी के अभिलेख या नोटिस अथवा उनके प्रभागों की प्रतियां अभिगृहीत करेगा या लेगा जो कि वह इस अधिनियम के अधीन अपराध के संबंध में सुसंगत समझे, जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण है कि वह नियोजक द्वारा किया गया है; और

(ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि विहित किया जाए:

परन्तु इस उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार या श्रम आयुक्त द्वारा इस निमित्त जारी साधारण या विशेष आदेश के अनुसार किया जाएगा.

(२) कोई व्यक्ति जिससे उपधारा (१) के अधीन निरीक्षक द्वारा किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने या किसी जानकारी को देने की अपेक्षा की जाती है, वह भारतीय दंड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) की धारा १७५ और १७६ के अधीन अर्थ के अन्तर्गत ऐसा करने के लिए विधिक रूप से बाध्य समझा जाएगा.

(३) दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) के उपबंध जहां तक हो सके, उपधारा (१) के अधीन तलाशियों और अभिग्रहण पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वह उक्त संहिता की धारा ९४ के अधीन जारी प्राधिकारी के वारंट के अधीन तलाशियों और अभिग्रहण को लागू होते हैं.

अध्याय-६

असंगठित कर्मकारों के कल्याण के लिए उपकर आदि

संपत्ति के अंतरण पर अतिरिक्त शुल्क.

२९. अचल सम्पत्ति के विक्रय, दान या बंधक से संबंधित लिखतों पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) के अधीन अधिरोपित शुल्क को, यथास्थिति, ऐसी सम्पत्ति के, मूल्य के, या बंधक की दशा में ऐसे लिखत द्वारा प्रतिभूत रकम के, एक प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से बढ़ाया जाएगा, जैसी कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट करे:

परन्तु बंधक के संबंध में अधिरोपित ऐसा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, उस पर स्टाम्प शुल्क की रकम से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह और कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त किसी लिखत के संबंध में कोई अतिरिक्त शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा.

कतिपय प्रवर्गों के मोटरयानों पर अतिरिक्त कर.

३०. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट मोटरयानों पर तिमाही कर की दर उस दर से बढ़ाई जाएगी जो पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जैसी राज्य सरकार, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे.

वन उत्पाद के विक्रय या प्रदाय पर कल्याण उपकर.

३१. (१) विक्रय की गई और प्रदाय की गई प्रत्येक वन उत्पाद पर वन विभाग द्वारा ऐसे मूल्य के जिस पर ऐसा वन उत्पाद बेचा या प्रदाय किया जाता है, एक प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से कल्याण उपकर उदगृहीत और संगृहीत किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट करे.

(२) उपधारा (१) के अधीन उदगृहीत कल्याण उपकर, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन वन उत्पाद पर उदग्रहणीय किसी कर के अतिरिक्त होगा.

(३) वन विभाग द्वारा विक्रय किये गये या प्रदाय किये गये वन उत्पाद के संबंध में उपधारा (१) के अधीन देय कल्याण उपकर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जिसको वन उत्पाद विक्रय या प्रदाय किया जाता है और ऐसे विक्रय या प्रदाय से संबंधित वन विभाग के अधिकारी या कर्मचारी द्वारा ऐसे विक्रय या प्रदाय के समय संगृहीत किया जाएगा और वसूल किया जाएगा.

स्पष्टीकरण.—अभिव्यक्ति "वन विभाग" और "वन उत्पाद" का वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम, १९८२ (क्रमांक १५ सन् १९८२) में उसे समनुदेशित किया गया है.

कतिपय गौण खनिजों पर रायल्टी और अनिवार्य भाटक के संबंध में उपबंध.

३२. राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख से खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का सं. ६७) की धारा १५ की उपधारा (३) के अधीन मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, १९९६ की अनुसूची-१ में सम्मिलित गौण खनिज के संबंध में देय रायल्टी अथवा अनिवार्य भाटक के पांच प्रतिशत के बराबर रकम पृथक् रखी जाएगी तथा धारा ३३ के उपबंधों के अनुसार अदा की जाएगी.

धारा २९ से ३१ के अधीन उदगृहीत रकम के संग्रहण की प्रक्रिया धारा ३२ के अधीन रकम को पृथक् रखने तथा धारा ८ के अधीन गठित निधि में उन्हें जमा कराने के लिए प्रक्रिया.

३३. (१) धारा २९, ३० तथा ३१ के अधीन उदग्रहीत क्रमशः अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, मोटर यान कर तथा कल्याण उपकर तथा धारा ३२ के अधीन पृथक् की गई रायल्टी या अनिवार्य भाटक के आगम को प्रथमतः संग्रहीत किया जाएगा और उसे संचित निधि में ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, जमा किया जाएगा.

(२) राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने पर विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उक्त धारा २९, ३० तथा ३१ के अधीन वसूल किए गए आगम तथा धारा ३२ के अधीन पृथक् रखी गई रकम के समतुल्य रकम को संचित निधि में से आहरित करेगी और इस प्रकार आहरित रकम को वित्तीय वर्ष की ३१ जुलाई तक धारा ८ के अधीन गठित निधियों में निम्नलिखित रीति में संदत्त करेगी और उक्त निधि में ऐसी जमा राशि राज्य की संचित निधि पर प्रभारित होगी :—

(एक) धारा ३१ तथा ३२ के अधीन वसूल की गई रकम मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण निधि में जमा की जाएगी;

(दो) धारा ३० के अधीन वसूल की गई रकम मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण निधि में जमा की जाएगी;

(तीन) धारा २९ के अधीन वसूल की गई रकम धारा ८ के अधीन गठित दोनों निधियों के बीच ऐसी रीति में विभाजित की जाएगी जैसी कि विहित की जाए.

अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय पर कल्याण उपकर.

३४. (१) प्रत्येक अधिसूचित कृषि उपज, जिस पर मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) की धारा १९ के अधीन बाजार फीस उदगृहीत की जाती है, के विक्रय पर कल्याण उपकर ऐसी दर से जो बाजार फीस के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा कि राज्य सरकार, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उदगृहीत किया जाएगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन कल्याण उपकर को उक्त धारा १९ के अधीन उदगृहीत एवं संगृहीत की जाने वाली बाजार फीस के साथ मंडी समिति द्वारा संगृहीत किया जाएगा.

(३) कल्याण उपकर उसी व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जाएगा जो उक्त धारा १९ की उपधारा (२) के अधीन बाजार फीस संदत्त करने के दायी हैं.

(४) मंडी समिति द्वारा प्रत्येक माह संगृहीत कल्याण उपकर की रकम मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड को पश्चात्वर्ती माह की १५ तारीख तक प्रेषित की जाएगी तथा बोर्ड इस प्रकार प्राप्त की गई समस्त रकम को मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण निधि में जमा करेगा.

(५) मंडी समिति द्वारा कल्याण उपकर के संग्रहण, उसका लेखा रखने तथा बोर्ड को अंतरण करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाए.

स्पष्टीकरण.—अभिव्यक्ति "मंडी समिति", "बाजार फीस" तथा "अधिसूचित कृषि उपज" के वही अर्थ होंगे जो मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित किये गये हैं.

अध्याय-७

शास्ति तथा प्रक्रिया

बाधा डालने के लिए शास्ति.

३५. (१) जो कोई किसी निरीक्षक को इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने में बाधा डालेगा या किसी स्थापना के संबंध में इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत किसी निरीक्षण, परीक्षण, जांच या अन्वेषण करने के लिए युक्तियुक्त सुविधा देने से इंकार करेगा या जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा.

(२) जो कोई, किसी निरीक्षक द्वारा मांग किए जाने पर इस अधिनियम के अनुसरण में रखे गये किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को पेश करने से जानबूझकर इन्कार करेगा अथवा किसी ऐसी बात को निवारित करेगा या निवारित करने का प्रयास करेगा अथवा कोई ऐसी बात करेगा जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उससे किसी व्यक्ति के, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के अनुसरण में कार्य करने वाले किसी निरीक्षक के समक्ष उपसंजात होने से, या उसके द्वारा परीक्षण किये जाने से निवारित किए जाने की संभावना है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा.

अन्य अपराधों के लिए शास्ति.

३६. (१) जो कोई, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध का या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करेगा अथवा इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध का या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का अनुपालन करने में असफल रहेगा वह, यथास्थिति, ऐसे प्रत्येक उल्लंघन या असफलता के लिए जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, और यथास्थिति, जारी रहने वाले उल्लंघन या असफलता की दशा में, ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन या असफलता ऐसे प्रथम उल्लंघन या असफलता के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहती है एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन कोई शास्ति श्रम आयुक्त द्वारा या सहायक श्रम आयुक्त से अनिम्न श्रेणी के ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना द्वारा सशक्त किया जाए, अधिरोपित की जा सकेगी.

(३) कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि संबंधित व्यक्ति को लिखित सूचना,—

(क) उन आधारों की, जिन पर शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव है, जानकारी देते हुए; और

(ख) उसे ऐसे युक्ति-युक्त समय के भीतर, जो उसमें उल्लिखित शास्ति के अधिरोपण के बारे में सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, लिखित अभ्यावेदन करने का और यदि वह ऐसी वांछा करता है तो उस मामले में उसकी सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए,

नहीं दे दी जाती है.

(४) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, श्रम आयुक्त और ऐसे अन्य अधिकारियों को, जो उपधारा (२) के अधीन सशक्त किए जाएं, निम्नलिखित विषयों की बाबत् इस धारा के अधीन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :—

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर करना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;

(घ) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना; और

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना.

(५) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संबंधित व्यक्ति को यथास्थिति, इस अधिनियम या किसी अन्य विधि द्वारा दण्डनीय बनाए गए किसी अपराध के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन अभियोजित किए जाने से अथवा इस अधिनियम या किसी ऐसे विधि के अधीन उस शास्ति या दण्ड से जो इस धारा द्वारा उस अपराध के लिए उपबंधित है, कोई अन्य या उच्चतर शास्ति के लिए दायी होने से निवारित करती है :

परन्तु किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा.

अपील.

३७. (१) धारा ३६ के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण से व्यथित कोई व्यक्ति,—

(क) जहां शास्ति श्रम आयुक्त द्वारा अधिरोपित की गई है, वहां राज्य सरकार को;

(ख) जहां शास्ति श्रम आयुक्त के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा अधिरोपित की गई है, वहां ऐसे प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए,

ऐसी शास्ति के अधिरोपण की ऐसे व्यक्ति को संसूचना की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर अपील कर सकेगा :

परन्तु यदि, यथास्थिति राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी, तीन मास की उक्त कालावधि के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था तो वह तीन मास की अतिरिक्त कालावधि के भीतर ऐसी अपील करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा.

(२) अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को, यदि वह ऐसी यांचा करता है, तो सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि करते हुए, उसे उपान्तरित करते हुए या उसे उलटते हुए ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे अथवा मामले को ऐसे निर्देश के साथ, जो वह उचित समझे, नए विनिश्चय के लिए वापस भेज सकेगा.

जुर्माने की वसूली.

३८. जहां धारा ३६ के अधीन किसी व्यक्ति पर अधिरोपित किसी जुर्माने का संदाय नहीं किया जाता है वहां,—

(एक) यथास्थिति, श्रम आयुक्त या धारा ३६ की उपधारा (२) के अधीन सशक्त अन्य अधिकारी इस प्रकार संदेय रकम को, ऐसे व्यक्ति के माल को, जो उसके नियंत्रण के अधीन है, प्रतिधृत करके या उसका विक्रय करके वसूल कर सकेगा; या

(दो) यदि रकम खण्ड (एक) में उपबंधित रीति से ऐसे व्यक्ति से वसूल नहीं की जा सकती है, तो यथास्थिति, श्रम आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा सशक्त अधिकारी ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाण-पत्र तैयार कर सकेगा जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और उसे उस जिले के कलक्टर को जिसमें ऐसा व्यक्ति किसी संपत्ति का स्वामी है या निवास करता है या अपना कारबार करता है, भेजेगा और उक्त कलक्टर ऐसे प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने पर उसमें विनिर्दिष्ट रकम को ऐसे व्यक्ति से वसूल करने के लिए वैसे ही अग्रसर होगा मानो वह भू-राजस्व की बकाया है.

कम्पनियों द्वारा अपराध.

३९. (१) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो, वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए, उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी.

(२) उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाए कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किये जाने का भागी होगा.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है; या

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है.

अपराधों का संज्ञान.

४०. (१) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान श्रम आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पूर्व लिखित मंजूरी से,—

(क) किसी निरीक्षक द्वारा; या

(ख) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० (१८६० का २१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वैच्छिक संगठन के पदाधिकारी द्वारा; या

(२) उपधारा (१) के अधीन कोई शास्ति श्रम आयुक्त द्वारा या सहायक श्रम आयुक्त से अनिम्न श्रेणी के ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना द्वारा सशक्त किया जाए, अधिरोपित की जा सकेगी.

(३) कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि संबंधित व्यक्ति को लिखित सूचना,—

(क) उन आधारों की, जिन पर शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव है, जानकारी देते हुए; और

(ख) उसे ऐसे युक्ति-युक्त समय के भीतर, जो उसमें उल्लिखित शास्ति के अधिरोपण के बारे में सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, लिखित अभ्यावेदन करने का और यदि वह ऐसी वांछा करता है तो उस मामले में उसकी सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए,

नहीं दे दी जाती है.

(४) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, श्रम आयुक्त और ऐसे अन्य अधिकारियों को, जो उपधारा (२) के अधीन सशक्त किए जाएं, निम्नलिखित विषयों की बाबत् इस धारा के अधीन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :—

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर करना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;

(घ) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना; और

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना.

(५) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संबंधित व्यक्ति को यथास्थिति, इस अधिनियम या किसी अन्य विधि द्वारा दण्डनीय बनाए गए किसी अपराध के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन अभियोजित किए जाने से अथवा इस अधिनियम या किसी ऐसे विधि के अधीन उस शास्ति या दण्ड से जो इस धारा द्वारा उस अपराध के लिए उपबंधित है, कोई अन्य या उच्चतर शास्ति के लिए दायी होने से निवारित करती है :

परन्तु किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा.

अपील.

३७. (१) धारा ३६ के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण से व्यथित कोई व्यक्ति,—

(क) जहां शास्ति श्रम आयुक्त द्वारा अधिरोपित की गई है, वहां राज्य सरकार को;

(ख) जहां शास्ति श्रम आयुक्त के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा अधिरोपित की गई है, वहां ऐसे प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए,

ऐसी शास्ति के अधिरोपण की ऐसे व्यक्ति को संसूचना की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर अपील कर सकेगा :

परन्तु यदि, यथास्थिति राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी, तीन मास की उक्त कालावधि के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था तो वह तीन मास की अतिरिक्त कालावधि के भीतर ऐसी अपील करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा.

(ग) व्यवसाय संघ अधिनियम, १९२६ (१९२६ का १६) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत किसी संबंधित व्यवसाय संघ के किसी पदाधिकारी द्वारा, किए गए परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं.

(२) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अगर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा.

अभियोजन की परिसीमा.

४१. कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके लिए परिवाद उस तारीख से, जिसको अभिकथित अपराध के किए जाने की जानकारी, यथास्थिति, निरीक्षक, किसी स्वैच्छिक संगठन के किसी पदाधिकारी या संबंधित किसी व्यवसाय संघ के किसी पदाधिकारी को हुई, तीन मास के भीतर नहीं कर दिया जाता है.

अध्याय-८

प्रकीर्ण

छूट देने की शक्ति.

४२. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए तथा ऐसी कालावधि के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम के समस्त उपबंधों या किसी उपबंध के प्रवर्तन से किसी अनुसूचित नियोजन में या किसी स्थापना में या किसी स्थापना के किसी भाग में नियोजित समस्त असंगठित कर्मकारों या उनके किसी वर्ग या वर्गों को छूट दे सकेगी यदि सरकार की राय में समस्त ऐसे असंगठित कर्मकार या कर्मकारों का ऐसा वर्ग या ऐसे वर्ग ऐसी प्रसुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं जो कि संपूर्ण रूप में ऐसे असंगठित कर्मकारों के लिए उससे कम अनुकूल नहीं है जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित है :

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी समय, विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कारणों से उपरोक्त अधिसूचना को विखण्डित कर सकेगी.

अनुसूची का संशोधन.

४३. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम तीन माह की सूचना देने के पश्चात् वैसी ही अधिसूचना द्वारा अनुसूची के किसी भी मद को उपांतरित कर सकेगी या ऐसे किसी नियोजन को, जिसके संबंध में यह राय हो कि उसे इस अधिनियम के उपबंध लागू होना चाहिए, अनुसूची में जोड़ सकेगी और तब यथा-उपांतरित या जोड़े गये ऐसे नियोजन को इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे.

अधिकर्ताओं को नियुक्त करने की बोर्ड की शक्ति.

४४. (१) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड यथास्थिति उपधारा (२) या उपधारा (३) में विनिर्दिष्ट निकायों में से एक या अधिक निकायों को अपनी ओर से निम्नलिखित समस्त कृत्यों या किसी कृत्य का पालन करने के लिए अपने अधिकर्ता नियुक्त कर सकेगी, अर्थात् :—

(एक) सदस्यों और/या नियोजकों का रजिस्ट्रीकरण,

(दो) सदस्यों और/या नियोजकों से अभिदाय का संग्रहण,

(तीन) सदस्यों को परिचय-पत्र का जारी करना तथा उनका नवीनीकरण,

(चार) प्रसुविधा प्रदान करने के लिए सदस्यों से आवेदन के प्ररूप प्राप्त करना, ऐसे आवेदनों को प्रक्रिया में लाना तथा प्रसुविधा की मंजूरी देना,

(पांच) बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से दिये गये किसी ऋण या अग्रिम की किश्तों का संग्रहण:

परन्तु नियोजकों के रजिस्ट्रीकरण तथा उनके अभिदायों के संग्रहण का कृत्य केवल उन्हीं स्थानीय निकायों को समनुदेशित किया जाएगा, जिन्हें अधिकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाए.

(२) मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड निम्नलिखित निकायों में से किसी एक या अधिक को उपधारा (१) के अधीन अधिकर्ता के रूप में नियुक्त कर सकेगा :—

(एक) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९३) के अधीन गठित जिला या जनपद पंचायत;

(दो) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) के अधीन गठित नगर पंचायत;

(तीन) मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ या उसका कोई घटक जिला सहकारी संघ;

(चार) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ या उसका कोई घटक संभागीय सहकारी संघ;

(पांच) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ या उसका कोई घटक जिला सहकारी संघ;

(छह) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) या मध्यप्रदेश स्वायत सहकारिता अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २ सन् २०००) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अन्य सहकारी सोसाइटी;

(सात) किसी केन्द्रीय या राज्य विधान के अधीन गठित कोई श्रम कल्याण बोर्ड चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो;

(आठ) व्यवसाय संघ अधिनियम, १९२६ (१९२६ का १६) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ;

(नौ) मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत तथा असंगठित कर्मकारों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली स्वैच्छिक एजेन्सी.

(३) मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड उपधारा (१) के अधीन निम्नलिखित निकायों में से किसी एक या अधिक को अधिकर्ता नियुक्त कर सकेगा, अर्थात् :—

(एक) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) के अधीन गठित नगरपालिक निगम या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) के अधीन गठित नगरपालिका परिषद्;

(दो) जिला नगरीय विकास अभिकरण;

(तीन) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) या मध्यप्रदेश स्वायत सहकारिता अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २ सन् २०००) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी;

(चार) केन्द्रीय या राज्य विधान के अधीन गठित कोई श्रम कल्याण बोर्ड जो किसी भी नाम से जाना जाता हो;

(पांच) व्यवसाय संघ अधिनियम, १९२६ (१९२६ का १६) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ; या

(छह) मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत तथा असंगठित कर्मकारों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली कोई स्वैच्छिक एजेन्सी.

(४) नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत से भिन्न किसी अन्य निकाय को यथास्थिति उपधारा (२) या उपधारा (३) के अधीन अपना अधिकर्ता नियुक्त करने के पूर्व बोर्ड ऐसे निकाय की पूर्व सहमति प्राप्त करेगा.

(५) बोर्ड अपने अधिकर्ताओं की नियुक्ति, उनके कार्यकरण तथा ऐसे अधिकर्ताओं के बोर्ड से संबंध को विनियमित करने के लिए विनियम बना सकेगा.

शक्तियों का प्रत्यायोजन.

४५. बोर्ड, साधारण या विशेष आदेश द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या किसी अन्य सदस्य को या सचिव या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए जो उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा.

जिला योजना समिति द्वारा जिले में अधिनियम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण किया जाना.

४६. (१) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जिला योजना समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह जिले में इस अधिनियम के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन तथा अनुश्रवण प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार अपने सम्मिलन में करे.

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट प्रत्येक पुनर्विलोकन सम्मिलन में समिति के सदस्यों के अलावा (क) असंगठित कर्मकारों, (ख) उनके नियोजकों, और (ग) जिले में स्थित विशेषज्ञों, सक्रिय कार्यकर्ताओं एक्टिविस्ट्स तथा स्वैच्छिक ऐजेंसियों में से प्रत्येक के कम से कम तीन तथा अधिक से अधिक पांच प्रतिनिधियों को "हितधारी" (स्टेकहोल्डर) के रूप में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा.

(३) उपधारा (२) में निर्दिष्ट "हितधारी" (स्टेकहोल्डर) को सम्मिलन में विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु मत देने का अधिकार नहीं होगा.

(४) उपधारा (२) में निर्दिष्ट "हितधारी" (स्टेकहोल्डर) समिति के अध्यक्ष द्वारा उसके सदस्य सचिव के परामर्श से एक बार में दो वर्ष की कालावधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे :

परन्तु किसी हितधारी (स्टेकहोल्डर) का कार्यकाल उस समय तक चालू रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नामनिर्दिष्ट न कर दिए जाए.

(५) जिला योजना समिति उपधारा (१) में निर्दिष्ट अपने कर्तव्य किसी उपसमिति को समनुदेशित कर सकेगी :

परन्तु उपसमिति द्वारा ऐसी उप समिति की प्रत्येक पुनर्विलोकन सम्मिलन में हितधारियों (स्टेकहोल्डर्स) को भी उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा.

स्पष्टीकरण.—(१) इस धारा के प्रयोजन के लिए "जिला योजना समिति" और उसकी "उपसमिति" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १९ सन् १९९५) की क्रमशः धारा ३ तथा ९ के अधीन गठित समिति या उपसमिति.

(२) उपधारा (२) के प्रयोजनों के लिए शब्द "सदस्यों" में उपर्युक्त अधिनियम की धारा ५ में निर्दिष्ट विशेष आमंत्रित भी सम्मिलित हैं.

विवरणियां.

४७. बोर्ड, समय-समय पर राज्य सरकार को ऐसी विवरणियां देगा जिनकी वह अपेक्षा करे.

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.

४८. (१) इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी.

(२) इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के होते हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए, कोई भी अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, राज्य सरकार, किसी बोर्ड या इस अधिनियम के अधीन गठित समितियों या ऐसे बोर्ड या किसी सदस्य या राज्य सरकार या बोर्ड के किसी अधिकारी या कर्मचारी या सरकार या किसी बोर्ड या समिति द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी.

निदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति.

४९. राज्य सरकार किसी बोर्ड को इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के बारे में निदेश दे सकेगी.

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

५०. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

नियम बनाने की शक्ति.

५१. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा ३ की उपधारा (४) के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें, उनको संदेय वेतन तथा अन्य भत्ते और उनके पदों में आकस्मिक नियुक्तियों को भरने की रीति;

(ख) धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन बोर्ड के सम्मिलन का समय और स्थान तथा ऐसे सम्मिलन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के नियम जिनके अन्तर्गत कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक गणपूर्ति भी है;

(ग) प्रसुविधा, जो धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन दी जाएं;

(घ) धारा ७ की उपधारा (५) के खण्ड (ख) के अधीन स्थानीय प्राधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय सहायता अनुदान की सीमा;

(ङ) वह प्ररूप, जिसमें और वह समय जिसके भीतर धारा १० के अधीन बोर्ड का बजट तैयार किया जाएगा और सरकार को भेजा जाएगा;

(च) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जिसके भीतर धारा ११ के अधीन बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी;

(छ) धारा १२ की उपधारा (३) के अधीन लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप और वह तारीख जिसके पूर्व उपधारा (३) के अधीन संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ लेखाओं की संपरीक्षित प्रति दी जाएगी;

(ज) उन रजिस्टरों का प्ररूप जो धारा १४ की उपधारा (७) के अधीन संधारित किए जाएंगे;

(झ) वे प्रसुविधाएं, जो धारा १६ की उपधारा (२) के अधीन दी जा सकेंगी;

(ञ) उन रजिस्टरों का प्ररूप जो धारा १७ के अधीन नियोजक द्वारा संधारित किए जाएंगे;

(ट) धारा २२ की उपधारा (२) के अधीन आवेदन का प्ररूप, वे विशिष्टियां जो उसमें होंगी और संदत्त की जाने वाली फीस;

(ठ) धारा २२ की उपधारा (३) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का प्ररूप, वह समय जिसके भीतर और वे शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए ऐसा प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा;

(ड) वह प्ररूप जिसमें स्वामित्व या प्रबंध में परिवर्तन या अन्य विशिष्टियों की सूचना धारा २२ की उपधारा (४) के अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दी जाएंगी;

(ढ) वह प्ररूप जिसमें धारा २६ की उपधारा (५) के अधीन बोर्ड द्वारा नियोजक को मांग सूचना जारी की जाएगी;

(ण) वे शक्तियां जिनका धारा २० की उपधारा (१) के खण्ड (ढ) के अधीन किसी निरीक्षक द्वारा प्रयोग किया जा सकेगा;

(त) वह रीति जिसमें क्रमश: धारा २९, ३० तथा ३१ के अधीन उद्गृहीत किया गया अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, मोटरयान कर तथा कल्याण उपकर और धारा 32 के अधीन पृथक् रखी गयी रायल्टी या अनिवार्य भाटक संग्रहीत तथा राज्य की संचित निधि में जमा किया जाएगा;

(थ) वह रीति जिसमें धारा २९ के अधीन वसूल की गई रकम धारा ३३ के अधीन दो निधियों के बीच प्रभाजित की जाएगी;

(द) धारा ३४ की उपधारा (५) के अधीन कल्याण उपकर के संग्रहण तथा लेखा रखने और उसे बोर्ड को अंतरित करने की प्रक्रिया;

(ध) वह प्राधिकारी जिसे धारा ३७ की उपधारा (१) के अधीन अपील की जाएगी;

(न) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए.

(३) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा.

विनियम बनाने की शक्ति.

५२. (१) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अपने कारबार को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत हों.

(२) विशिष्टतया और उपधारा (१) की शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) बोर्ड के सचिव तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की धारा ४ की उपधारा (३) के अधीन नियुक्ति का ढंग, सेवा के निबंधन तथा शर्तें और उनको संदेय वेतन तथा भत्ते;

(ख) बोर्ड की उपसमितियों का गठन, बोर्ड के कृत्य तथा शक्तियां जो ऐसी उपसमितियां प्रयोग करें तथा वह रीति जिसमें वह ऐसा कर सकती है :

परन्तु बोर्ड की प्रत्येक उपसमिति में प्रतिनिधित्व कर रहे असंगठित कर्मकारों के सदस्य तथा उनके नियोजकों की सदैव समान संख्या समाविष्ट होगी;

(ग) वह प्ररूप, जिसमें सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन धारा १४ की उपधारा (३) के अधीन किया जाएगा;

(घ) वह दस्तावेज तथा फीस जो धारा १४ की उपधारा (४) के अधीन आवेदन के साथ संलग्न होगी;

(ङ) सचिव के अलावा बोर्ड के अधिकारी जो धारा १४ की उपधारा (५) के अधीन पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए सक्षम होंगे;

(च) वह प्ररूप, जिसमें धारा १५ के अधीन सदस्यों को परिचय-पत्र जारी किए जाएंगे;

(छ) सदस्यों के भिन्न-भिन्न प्रवर्गों द्वारा देय अभिदाय की दरें तथा उनके संग्रहण की रीति;

(ज) बोर्ड को नियोजकों के अभिदाय के भुगतान का ढंग;

(झ) धारा ४४ के अधीन अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया, उनके कृत्यों की प्रक्रिया तथा वह रीति जिसमें बोर्ड उनके कामकाज का पर्यवेक्षण करेगा.

बोर्ड द्वारा स्कीमों का तैयार किया जाना.

५३. (१) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन सदस्यों को प्रसुविधा देने के लिए स्कीम तैयार कर सकेगा.

(२) स्कीम में निम्नलिखित विषयों के बारे में उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) प्रसुविधा का प्रकार;

(ख) पात्रता की शर्तें;

(ग) व्यक्ति जिसे प्रसुविधा देय होगी;

(घ) प्रसुविधा देने के लिए माप या दरें;

(ङ) आवेदन करने के लिए प्रक्रिया तथा प्ररूप;

(च) मंजूरी के लिये प्रक्रिया तथा वह सक्षम प्राधिकारी जो मंजूरी प्रदान करेगा;

(छ) संवितरण की प्रक्रिया;

(ज) निबन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए प्रसुविधा दी जाएंगी; और

(झ) कोई अन्य आनुषंगिक विषय.

कतिपय विधियों की व्यावृत्ति.

५४. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात राज्य में की किसी तत्स्थानी विधि के प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगी जिसमें इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन असंगठित कर्मकारों के लिए उपबंधित कल्याण स्कीम से अधिक हितकारी उपबंध है.

अनुसूची

[धारा २ (त) देखें]

भाग-एक

१. कृषि में नियोजन जिसमें सम्मिलित है उद्यानिकी तथा कृषि प्रसंस्करण.
२. दुग्ध-उद्योग (डेरी), मुर्गीपालन, सुअरपालन तथा अन्य पशुपालन में नियोजन.
३. मछलीपालन में नियोजन.
४. वानिकी में नियोजन जिसमें सम्मिलित है मुख्य तथा गौण वन उपज के उत्खनन तथा संग्रहण से संबंधित क्रियाकलाप.
५. रेशम-उत्पादन में नियोजन.

भाग-दो

१. लेटराइट गोलाश्म मृत्तिका का निकाला जाना, भवन का पत्थर, सड़क की गिट्टी, बजरी, मुरम, रेत तथा मिट्टी खदान क्रिया तथा उत्खनन में नियोजन.
२. पत्थर को तोड़ने तथा दलने में नियोजन.
३. पकी ईंट तथा टाइल बनाने में नियोजन.

भाग-तीन

१. (क) किसी बाजार या दुकान या डिपो या कारखाना या भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थापना, एवं

(ख) मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी अधिनियम,१९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) के अधीन गठित मण्डी समितियों के नियंत्रणाधीन कोई बाजार;

में लदाई-उतराई, ढेर लगाने (स्टॅकिंग), पैकिंग करने, वहन करने, तौलने, मापने और ऐसे ही अन्य शारीरिक कार्य, जिसमें उसकी तैयारी तथा अन्य संसक्त कार्य शामिल हैं, में नियोजन.

२. सार्वजनिक परिवहन यानों में माल की लदाई या उनसे माल की उतराई से संबंधित तथा कोई अन्य आनुषंगिक या संसक्त प्रचालन में नियोजन.

३. गोदाम में खाद्यान की लदाई, उतराई तथा वहन करना खाद्यान्नों की छटाई तथा सफाई, खाद्यान्नों का बोरों में भरना, ऐसे बोरों की सिलाई करना तथा उससे तथा आनुषंगिक तथा संसक्त अन्य कार्य में के संबंध में नियोजन.

भाग-चार

१. खादी, हथकरघा (हैंडलूम) तथा पावरलूम उद्योग में नियोजन.
२. कपड़े का विरंजित करना (ब्लीचिंग) रंगाई तथा छपाई में नियोजन.
३. सिलाई में नियोजन.

भाग-पांच

१. सुगन्धित तीलियां (अगरबत्ती) के बनाने में नियोजन.
२. कढ़ाई, धूम्रपान (स्मॉकिंग) तथा तैयार वस्त्र (रेडीमेड गारमेन्ट्स) बनाने में नियोजन.
३. पापड़, अचार, जेम्स, जेली अन्य परिरक्षित खाद्य पदार्थ, पिसे मसाले तथा खासक बनाने में नियोजन.
४. खाना बनाने में नियोजन.
५. खिलौने बनाने में नियोजन.

भाग-छह

१. चमड़े के शोधन तथा प्रसंस्करण में नियोजन.
२. जूते तथा चमड़े की अन्य वस्तुएं बनाने तथा मरम्मत करने में नियोजन.
३. सफाई तथा झाड़ू-बहारू सेवाओं में नियोजन.

भाग-सात

१. रैग-पिकिंग में नियोजन.
२. दरवाजे-दरवाजे (द्वार-द्वार पर) पुराने समाचार-पत्रों (रद्दी) का संग्रहण (तथा विक्रय) तथा त्यक्त वस्तुएं (कबाड़ी) में नियोजन.
३. बेचने वाला (हॉकर) तथा मार्ग में फेरी लगाकर बेचने वाला (स्ट्रीट वेण्डर) के रूप में नियोजन.

भाग-आठ

१. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१ (१९६१ का २७) में यथा परिभाषित मोटर परिवहन कर्मकार.
२. साइकिल-रिक्शा, आटो-रिक्शा तथा टैक्सी चलाने में ऐसा नियोजन जो "मोटर परिवहन कर्मकार" की श्रेणी में नहीं आता.
३. आटा, तेल, दाल तथा चावल मिल में नियोजन.
४. प्राइवेट सुरक्षा सेवाओं में नियोजन.
५. प्लास्टिक उद्योगों में नियोजन.
६. लकड़ी का काम करने की इकाइयों में नियोजन.
७. बर्तन बनाने में नियोजन.
८. कारीगर (शिल्पी) जैसे लुहार, बढ़ई, गारा बनाने, चाक बनाने (कुम्हार) आदि में नियोजन.
९. दरी तथा कारपेट बनाने में नियोजन.
१०. आतिशबाजी तथा माचिस उद्योग में नियोजन.
११. डब्बे तथा पैकिंग की अन्य सामग्री बनाने में नियोजन.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई, 2004

क्र. 2836-207-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 (क्रमांक 9 सन् 2004) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. पी. नेमा, अतिरिक्त सचिव.